साप्ताहिक
शांति मिशन
नई दिल्ली
वर्ष-28 अंक- 28 11 - 17 जुलाई 2021 पृष्ठ 12

अन्दर पढ़िए
भय, समाज और चुनौतियाँ पृष्ठ - 6
भारत में बालश्रम का नासूर पृष्ठ - 7

तेजी से बढ़ते अपराध भ्रष्टाचार और असहिष्णुता के बीच

उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2022

विधानसभा चुनाव भाजपा के प्रदर्शन पर जनता का फैसला होगा, जिसका असर भाजपा पर पड़ेगा ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि हिन्दुत्व के चरमपंथी योगी को मोदी के विकल्प के रूप में देख रहे हैं।

उत्तर प्रदेश हिन्दुत्व का हृदय है। पूरे देश में फैले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राजनैतिक साम्राज्य का शुभंकर है। यह राजनीतिक लड़ाई में पार्टी का प्रयोग स्थल है, तो गवर्नेंस (अभिशासन) का गुटका भी। उत्तर प्रदेश चार वर्ष पहले पूरे देश में चर्चा में आए तेज़ तर्रार नेता योगी आदित्यनाथ का भी मैदान है। यह भाजपा और मुख्यमंत्री योगी के लिए 2022 में चुनावी समर की भी स्थली है लेकिन 2022 की चर्चा से पहले हमें मई 2021 में भी जाना चाहिए, जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। देश के इस पूर्वी राज्य में भाजपा का पूरा अमला ममता बनर्जी को तीसरी बार सत्ता में आने से नहीं रोक पाया। भाजपा के लिए यह हार इतनी संघातक थी कि केंद्र और राज्यों में पार्टी के भविष्य को लेकर प्रश्न उठने लगे। लेकिन उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल नहीं, और न ही योगी ममता है। आलोचक उन्हें स्वेच्छाचारी और ध्रुवीकरण की छवि वाला बताते हैं, फिर भी भाजपा के कट्टर मतदाताओं में योगी अपील मानो बढ़ती जा रही है। हर फैसले के साथ उन पर लोगों का भरोसा बढ़ना, भले ही उनके ख़िलाफ़ जितनी छींटाकशी हो। अनेक लोग मानते हैं कि योगी का विवादों से रिश्ता शाश्वत है। वे लोगों में निष्ठा जगाते हैं, तो शत्रुता भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाला व्यक्ति किस ओर है। विधनसभा चुनाव से पहले भाजपा के सबसे योग्य दावेदार नज़र आ रहे हैं। उन्हें न सिर्फ अपने विकास के एजेंडे, बल्कि तेज तर्रार हिन्दुत्व नेता की छवि का भी फायदा मिल सकता है।

उत्तर प्रदेश का चुनावी मैदान भाजपा के लिए अपेक्षाकृत आसान है। यहां स्थानीय नेतृत्व की कमी नहीं है। पश्चिम बंगाल में पार्टी कोई ऐसा नेता तैयार नहीं कर सकी जो तृणमूल कांग्रेस की 'दीदी' को टक्कर दे सके। लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा की हिन्दुत्व की राजनीति के पोस्टर बॉय योगी ने खुद सामने आकर मोर्चा संभाल रखा है। आलोचक योगी के प्रशासन को ज़मीन से कटा हुआ मानते हैं, आरोप यह भी लगते हैं कि योगी प्रशासन किसी समस्या से बाहर निकलने के लिए ग़ैर क़ानूनी तरीके अख़्तियार करने से भी नहीं पीछे रहता। जैसे गैंगस्टर विकास दुबे की हत्या, हाथरस में बलात्कार पीड़ित दलित लड़की का रातो-रात अंतिम संस्कार। लेकिन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो संभवत: प्रधानमंत्री के बाद सर्वाधिक शक्तिशाली पद है, के प्रशंसक भी कम नहीं है।

राजनीतिक टीकाकार और अर्थ शास्त्री नवल किशोर कहते हैं कि ''योगी ने निस्संदेह स्वयं को बढ़िया प्रशासक साबित किया है। पहले लेकिन उनके काम को देखते हुए यह समझा जा सकता है कि मौजूदा परिस्थितियों में वे पार्टी के सबसे अच्छे दावेदार हैं। अतीत में इंदिरा गांधी और वर्तमान में ममता बनर्जी की तरह फैसलाकुन होना भारतीय राजनीति को सुहाता है।

चार वर्ष पहले लोगों को योगी से इतनी उम्मीदें नहीं थी। 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने किसी को भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करने से परहेज़ किया था। चुनाव में 403 में से 312 सीटें जीतने के बाद ही पार्टी ने गोरखपुर के सांसद और गोरखनाथ मठ के योगी आदित्यनाथ को गुड गवर्नेंस का सपना साकार करने की ज़िम्मेदारी सौंपने का फैसला किया। यह जानबूझकर खेला गया जुआ था जिस पर राजनीतिक हलकों में शुरू में काफी संशय था। योगी की छवि बस भाजपा के हिन्दुत्व ब्रिग्रेड के एक नेता के रूप में थी। उनकी यही छवि को देखते हुए उनको चुना गया यह भी कोई अतिश्योक्ति नही है।

2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने किसी को भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करने से परहेज़ किया था। चुनाव में 403 में से 312 सीटें जीतने के बाद ही पार्टी ने गोरखपुर के सांसद और गोरखनाथ मठ के योगी आदित्यनाथ को गुड गवर्नेंस का सपना साकार करने की ज़िम्मेदारी सौंपने का फैसला किया। यह जानबूझकर खेला गया जुआ था जिस पर राजनीतिक हलकों में शुरू में काफी संशय था। योगी की छवि बस भाजपा के हिन्दुत्व ब्रिग्रेड के एक नेता के रूप में थी। उनकी यही छवि को देखते हुए उनको चुना गया यह भी कोई अतिश्योक्ति नही है। चाहे अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति हो, इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास हो या किसानों, युवाओं और महिलाओं की हालत सुधारना हो जैसे अहम मुद्दों पर अकसर असफल रहे हैं इसलिए यूपी की जनता का एक बड़ा वर्ग आज भी उनकी सफलता के बारे में आशंकित है।

चाहे अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति हो, इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास हो या किसानों, युवाओं और महिलाओं की हालत सुधारना हो जैसे अहम मुद्दों पर अकसर असफल रहे हैं इसलिए यूपी की जनता का एक बड़ा वर्ग आज भी उनकी सफलता के बारे में आशंकित है। ये देखना दिलचस्प होगा कि वे हमेशा उत्तर प्रदेश के विकास की नई गाथा लिखते नज़र आए?

लेकिन राजनीतिक रूप से अप्रत्याशित परंतु महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में, जहां जाति आज भी बड़ा महत्व रखती है, न तो भाजपा न ही योगी आने वाले महीनों में आराम से बैठ सकते हैं। यह सच है कि उत्तर प्रदेश में सात सालों से लगातार भाजपा का दबदबा है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को बड़ी जीत मिली। पार्टी 2017 में 16 साल बाद प्रदेश में सत्ता में लौटी। चुनाव दर चुनाव पार्टी अपने मुख्य विरोधियों समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को दरकिनार करती हुए मजबूत होती गई लेकिन कहते हैं कि हर चुनाव अपने आप में अलग होता है। इसलिए 2022 के विधानसभा चुनाव को जो रूटीन का चुनाव समझ रहे हैं वे भारी सियासी ग़लती कर रहे हैं।

हाल के दिनों में सिर्फ पश्चिम बंगाल में भाजपा को हार का सामना नहीं करना पड़ा, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में भी अयोध्या, मथुरा और गोरखपुर जैसे पारंपरिक रूप से मज़बूत इलाकों में पार्टी के प्रत्याशी हार गए। केंद्र सरकार के तीन कृषि क़ानूनों के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छह माह से सत्तारुढ़ पार्टी के ख़िलाफ़ असंतोष बढ़ रहा है। इस आंदोलन ने जाटों और मुसलमानों को भी मिला दिया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में जाटों ने भाजपा का समर्थन किया था, लेकिन नए कृषि क़ानूनों के चलते वे पार्टी के ख़िलाफ़ हो गए हैं। मुसलमान आमतौर पर भाजपा के विरोधी के साथ जाते हैं, इसलिए योगी को उन सभी जाति और समुदाय के वोटों को बिखरने से रोकना है जो पिछले चुनाव में उनके साथ थे। उन्हें ऐसा सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला तैयार करना पड़ेगा जिससे ग़ैर जाटव दलित और गैर यादव अन्य पिछड़ा वर्ग का वोट मिल सके। इसके अलावा ब्राह्मण और ठाकुर समर्थकों को भी टूटने से रोकना पड़ेगा।

बिखरे विपक्ष को देखते हुए योगी फिलहाल चैन की सांस ले सकते हैं। प्रदेश के 19 प्रतिशत मुस्लिम मतदाता अगर भाजपा के ख़िलाफ़ एकजुट हुए तो मुश्किल हो सकती है, लेकिन एनडीए के खिलाफ़ अनेक पार्टियां हैं। असदुद्दीन ओवैसी के एआईएमआईएम के आने से मुस्लिम वोटों के भी बंटने के आसार हैं। फिलहाल तो कोरोना की दूसरी लहर का अंजाम ही योगी का सबसे बड़ी विरोधी लग रहा है। इसने प्रदेश के हज़ारों लोगों को अपना शिकार बना लिया जिसके लिए योगी सरकार का नकारापन ही ज़िम्मेदार माना जा रहा है इन हालात को देखते हुए आज विधान सभा चुनाव से पहले अब यह प्रश्न उठने लगे हैं कि क्या कोविड पीड़ित लोग अब भी भाजपा को वोट देंगे? क्या योगी के नेतृत्व में भाजपा फिर से जीत हासिल कर सकेगी? 2014 के संसदीय चुनावों में भाजपा को प्रदेश की 80 में से 71 सीटें मिली थीं, लेकिन 2014 में जब सपा और बसपा ने हाथ मिलाया तो भाजपा की सीटों की संख्या घटकर 62 रह गई। पर चुनावी नतीजे हमेशा चौंकाने वाले होते हैं। 2017 के विधनसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था, फिर भी वे भाजपा को बड़ी जीत दर्ज करने से नहीं रोक पाए। ऐसा लगता

बाकी पेज 11 पर

राष्ट्रपति प्रणाली की ओर जा रहा है पाकिस्तान?

मरिआना बाबर

पाकिस्तान क्या मौजूदा संसदीय प्रणाली से राष्ट्रपति प्रणाली की ओर बढ़ रहा है? ऐसी बातें कही जा रही हैं कि संसदीय प्रणाली ने इस देश में लोकतंत्र को मज़बूत करने में मदद नहीं की है, और इस व्यवस्था ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, जो मुल्क को पीछे ले जा रहा है। वर्ष 1958 में बंगाली राजनेता शहीद अली पटवारी पूर्वी पाकिस्तान में प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे, जो डिप्टी स्पीकर भी थे। विधानसभा सत्र की कार्यवाही में हंगामे के दौरान एक प्रस्ताव के कारण सदस्यों के आपस में लड़ने से जल्द ही विधानसभा युद्ध के मैदान में तब्दील हो गई। हिंसक सदस्यों के हाथ में जो आया था, वे उसे फेंकने लगे थे। एक सदस्य ने पेपरवेट उठाकर फेंका, जो दुर्भाग्य से शहीद अली पटवारी के सिर में लगा और वह इतनी बुरी तरह से घायल हुए कि दो दिन बाद अंततः उनका इंतेक़ाल हो गया। अब 2021 में भी इस तरह का नज़ारा नेशनल असेंबली में दोहराया गया, पर ग़नीमत रही कि किसी की मौत नहीं हुई।

सरकार और दो मुख्य विपक्षी दलों पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज़) व पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बीच पिछले दो वर्षों से राजनीतिक तनाव जारी है। सदन के नेता इमरान ख़ान शायद ही कभी नेशनल एसेंबली या सीनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। उन्होंने शिकायत की है कि विपक्षी सदस्यों द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है। पिछले दिनों सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने एक हास्यास्पद प्रस्ताव रखा कि अगर विपक्षी दल लिखित में आश्वासन देंगे कि वे निचले सदन की बैठक में ख़लल नहीं डालेंगे तभी नेता प्रतिपक्ष शहबाज़ शरीफ को सम्मान के साथ सदन में सुना जाएगा। विपक्षी दलों ने स्वाभाविक ही इसे ख़ारिज कर दिया। जब वित्तमंत्री शौकत तरीन सालाना बजट पेश करने के लिए खड़े हुए, तब विपक्षी सदस्यों ने इतना हंगामा किया कि प्रेस गैलरी में बैठे लोग भी वित्त मंत्री का भाषण नहीं सुन सके। फिर जब नेता प्रतिपक्ष शहबाज़ शरीफ विपक्ष की ओर से बोलने के लिए खड़े हुए तब सत्ता पक्ष ने बदला लेने का फैसला लिया और इतना शोर मचाया कि कोई भी शहबाज़ शरीफ को नहीं सुन सका। ऐसा लगातार तीन दिन हुआ और तीसरे दिन तो सदन युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। सांसद एक दूसरे पर बजट की मोटी कॉपी मिसाइल की तरह फेंक रहे थे। पंजाबी में ऐसे-ऐसे अपशब्द सुनने को मिले कि महिला सांसद शर्मा गई। सबसे ख़राब और अक्षम्य आचरण वरिष्ठ मंत्रियों का था जो गुंडों की तरह बर्ताव कर रहे थे। अपने सदस्यों को रोकने के बजाय वे मेज़ पर खड़े होकर विपक्षी सदस्यों के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने लगे। अगले दिन नेशनल असेम्बली स्पीकर असद क़ैसर ने सत्तारुढ़ पीटीआई, पीपीपी और पीएमएल (एन.) के सात सदस्यों के संसद में प्रवेश पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि जिन सदस्यों को संसद में आने से रोका गया है, उन्हें उनके असंसदीय और अनुचित व्यवहार के लिए माफ़ नहीं किया जा सकता है।

सत्तापक्ष ने क्या संसदीय प्रणाली को ख़त्म कर राष्ट्रपति प्रणाली की ओर क़दम बढ़ाने की योजना के तौर पर यह नाटक किया? पिछले कुछ समय से इस्लामाबाद में कानाफूसी हो रही है कि शक्तिशाली ताक़तें अब राजनीतिक की एक नई प्रणाली के साथ प्रयोग करना चाहती है। पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट में एक सांविधानिक याचिका दायर की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति शासन की स्थापना के बारे में एक जनमत संग्रह कराने के लिए कहा गया था। यह कहना जल्दबाज़ी होगा या नहीं। लेकिन पाकिस्तान में अनेक लोग इस सांविधानिक याचिका से सहमत है कि 'हमारी संसदीय प्रणाली में सांसदों को वफादारी बदलने की आदत है और वे अपने निजी हितों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को ब्लैकमेल करते और उन पर दबाव बनाते हैं। याचिका में कहा गया है कि लोग शासन की संसदीय प्रणाली से ऊब गए हैं और राष्ट्रपति शासन अपनाना चाहते हैं। पाकिस्तान की जनता की बदहाली सीधे तौर पर सरकार की व्यवस्था को दर्शाती है और यह स्थापित हो गया है कि देश में शासन की संसदीय प्रणाली पूरी तरह विफल है।❑❑

रहने योग्य शहरों की सूचि में बहुत पीछे है देश की राजधानी

दिल्ली देश की राजधानी ज़रूर है, लेकिन रहने योग्य शहरों की सूचि में कई राज्यों की राजधानी से भी पीछे है। ज़्यादातर मानकों में दिल्ली को प्रथम श्रेणी यानि 60 प्रतिशत अंक भी नहीं मिलते। यह सामने आया है सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरमेंट (सीएसई) की नई सांख्यिकीय विश्लेषण रिपोर्ट में। आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर तैयार इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय शहरों में सतत् विकास और रहने की स्थिति आज भी बहुत अच्छी नहीं है।

रिपोर्ट के मुताबिक, सुख सुविधाओं, जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक अवसरों की उपलब्धता, सतत् विकास और लोगों की सोच के आधार पर बेंगलुरु प्रथम, चेन्नई दूसरे और शिमला तीसरे स्थान पर है। भुवनेश्वर चौथे, मुंबई पांचवें और दिल्ली छठे स्थान पर है। भोपाल, रायपुर, गांधी नगर और जयपुर क्रमशः सातवें, आठवें, नौवें और दसवें स्थान पर हैं।

रिपोर्ट बताती है कि भारतीय शहरों में तेज़ी से विस्तार हुआ है, लेकिन आवश्यक नगर पालिका सेवाओं, आर्थिक और अन्य अवसरों को बनाए रखने में ज़्यादातर शहर विफल रहे हैं। आलम यह है कि इन शहरों में सीवेज उपचार का प्रतिशत तक बेहद कम है। कुल मिलाकर 28 प्रतिशत सीवेज का ही उपचार किया जा रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) अपने शहरों में सीवेज का शोधन बिल्कुल भी नहीं करते। 13 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश अपने सीवेज का 20 प्रतिशत से भी कम का शोधन करते हैं। सात अन्य राज्य 20 से 50 प्रतिशत का उपचार करते हैं। केवल पांच राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश अपने यहां 50 प्रतिशत से अधिक सीवेज को शोधित करते हैं।❑❑

किस राजधानी में किस श्रेणी में कितने अंग (100 में से)

शहर	ईजआफ लिविंग	जीवन की गुणवत्ता	आर्थिक अवसर	सतत विकास	लोगों की सोच
बेंगलुरु	76.7	55.67	78.82	59.97	78
चेन्नई	62.61	60.84	34.16	57.05	82.6
शिमला	60.09	53.05	23.39	69.19	83.3
भुवनेश्वर	59.85	51.69	11.57	57.77	94.8
मुम्बई	58.23	51.12	32.12	60.74	77.9
दिल्ली	57.56	51.22	50.73	56.02	69.2
भोपाल	56.26	57.92	14.01	51.68	78.5
रायपुर	55.26	54.74	11.73	63.77	75.3
गांधीनगर	56.25	55.02	15.12	51.99	81.1
जयपुर	55.08	47.66	10.49	57.07	87.1

तीसरी लहर के लिए तैयार हो रहे पांच हज़ार स्वास्थ्य सहायक

कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली में पांच हजार स्वास्थ्य सहायक तैनात किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑनलाइन प्रेसवार्ता में बताया कि पहली व दूसरी लहर में मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ की कमी देखी गई थी। इस सेवा के लिए तैयार किए जाने वाले युवाओं को दिल्ली सरकार पहले ज़रूरी प्रशिक्षण देगी। कोई भी 18 वर्ष से अधिक आयु का युवा जो 12वीं पास है वह इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आइपी यूनिवर्सिटी के 9 मेडिकल संस्थान में इन्हें नर्सिंग, पैरामेडिक्स, होम केयर ब्लड प्रेशर मापने, टीका लगाने आदि का ज़रूरी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये युवा बतौर हेल्थ सहायक डॉक्टर और नर्स के सहायक के रूप में काम करेंगे और खुद से कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे।

इनकी मदद से डॉक्टर अधिक कुशलतापूर्वक काम कर पाएंगे और मरीज़ों की देखभाल काफी अच्छे से हो सकेंगी। इस सेवा के लिए 12वीं कक्षा पास 18 वर्ष से अधिक आयु के युवा 17 ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं। दिल्ली सरकार 500-500 युवाओं के साथ प्रशिक्षण भी कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ दिनों से दिल्ली में तीसरी लहर से बचाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए दिल्ली में ऑक्सीजन के कई नए संयंत्र लगाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन सांद्रक (कंसेंट्रेटर), ऑक्सीजन के सिलेंडर और ऑक्सीजन के स्टोरेज टैंक समेत कई सारी तैयारिंं संभावित तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार इन पांच हजार लोगों को प्रशिक्षित कर संभावित तीसरी लहर के लिए लोगों की सेवा हेतु और डॉक्टर की मदद हेतु तैयार करने का उद्देश्य है।❑❑

संपादकीय

शांति मिशन

जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री की कश्मीरी नेताओं से वार्ता

भविष्य के लिए क्या सुखद क़दम साबित होगा?

4-5 अगस्त की मध्यरात्रि में जम्मू कश्मीर के तमाम बड़े राजनैतिक नेताओं की गिरफ्तारी के बाद, 05 अगस्त को केन्द्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 और 35-ए को समाप्त करने और जम्मू कश्मीर को दो भागों जम्मू और लद्दाख में बांटकर केंद्र शासित क्षेत्र बनाने का आदेश जारी किया था जिसके विरोध में देश-विदेश में भारी आलोचना हुई थी और हालांकि देखने में जम्मू कश्मीर में इस कार्रवाई के विरुद्ध कोई बड़ी उग्रता सामने नहीं आ सकी थी इसलिए कि जम्मू कश्मीर में एक तरह से आपातकाल जैसे हालात थे, मगर अंदर ही अंदर इस कार्रवाई के विरुद्ध भारी असंतोष पनप रहा था जिसका हमारी मोदी सरकार को भी एहसास था। 05 अगस्त की मध्यरात्रि में बंदी बनाए गये नेता लगभग एक वर्ष की नज़रबंदी के बाद छोड़े गये तो उन्होंने हाथ पैर हिलाने शुरू कर दिये। सबसे पहले उन्होंने 15, अक्तूबर 2020 को राजनैतिक दलों नेशनल कांफ्रेंस, पी.डी.पी., पीपुल्स कांफ्रेंस, पीपल मूवमेंट, माकपा आदि ने एक मीटिंग करके ''गुपकार गठबंधन'' के नाम से एक ग्रुप बनाया और कहा कि इस गठबंधन के बैनर तले मोदी सरकार की इस कार्रवाई के विरुद्ध संघर्ष किया जाए।

05 अगस्त 2019 के बाद से लगभग डेढ़ वर्ष तक जम्मू कश्मीर में राजनैतिक गतिविधियां बंद रहीं, केवल दिसम्बर 2020 में ज़िला विकास परिषद के चुनाव कराए गये जिनमें ''गुपकार गठबंधन'' को भारी सफलता मिली और गुपकार संगठन की यह सफलता ही 24 जून 2021 की वर्तमान सरकार और जम्मू कश्मीर के राजनैतिक नेताओं की मीटिंग की वजह बनी। यह मीटिंग पी.एम. हाउस में श्री मोदी जी की अध्यक्षता में हुई जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ़्ती, गुलाम नबी आज़ाद, पूर्व उपमुख्यमंत्री गोविन्द गुप्ता, निर्मल सिंह, ताराचंद और मुज़फ़्फ़र बेग के अलावा सज्जाद लोन, रविन्द्र रैना, भीमसिंह, मु. युसूफ तारेगामी, गुलाम मोहम्मद मीर को विशेषतौर पर बुलाया गया था। यह सब नेता मीटिंग में शामिल हुए, उनके अतिरिक्त मीटिंग में श्री मोदी के अलावा अमित शाह, एल.जी. मनोज सिह्ना, जितेन्द्र सिंह और अजीत डोभाल ने सरकार का प्रतिनिधित्व किया। यह मीटिंग साढ़े तीन घंटे चली, माहौल अच्छा था और हर नेता को अपनी बात कहने का अवसर मिला, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग को आरंभ करते हुए दस मिनट के अपने भीषण में बड़े प्रसन्नतापूर्वक कहा:-

''हम दिल और दिल्ली की दूरी और आपसी मन-मुटाव मिटाने के लिए आप के साथ बैठे हैं, असेम्बली क्षेत्रों का नया परिसीमन होने के बाद विधानसभा चुनाव जल्द कराएं जाएंगे और समय आने पर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। आप हमारे साथ इस बारे में सहयोग करें और हमारी इस कार्रवाई में पूरी तरह शामिल हों।''

मीटिंग में शामिल होने वाले नेताओं का आचरण भी ठीक ही रहा, श्री गुलाम नबी आज़ाद ने राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और लोकतंत्र बहाल करने की मांग की। डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने तुरंत निष्पक्ष चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा। महबूबा मुफ्ती ने इन तमाम मांगों के साथ कश्मीर मसला हल करने हेतु पाकिस्तान से भी बात करने का प्रस्ताव रखा। मीटिंग के बाद उसके खुशगवार माहौल का खुद मीटिंग में शामिल होने वाले लीडरों ने माना कि मीटिंग सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। अपनी पार्टी के अल्ताफ बुख़ारी ने मीटिंग से बाहर आकर कहा कि पूरी बातचीत अच्छे माहौल में हुई, प्रधानमंत्री ने हम सब की बातों को बड़े ग़ौर से सुना। मीटिंग में देश की सलामती, एकता और विकास और जम्मू कश्मीर की खुशहाली और विकास पर वार्ता हुई और उसमें नए कश्मीर का रोडमैप पेश किया गया। उन्होंने बताया कि मीटिंग में कहा गया कि चुनावी परिसीमन के द्वारा वर्तमान समीकरण की कोशिश जारी है। जिसके पूरा होने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, चुनावी समीकरण कमीशन इस बारे में जम्मू कश्मीर के नेताओं से संवाद करके, उन्हें भी भरोसे में लेने के लिए पहल करेगा जो एक अच्छी बात है।

इस मीटिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी पहल स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से की गयी है और उन्होंने बड़ी सफाई के साथ दिल और दिल्ली को जोड़ने की बात कही है जिससे साफ ज़ाहिर है कि वह इस बारे में कोई न्याय पर आधारित क़दम उठाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के नेताओं ने भी अच्छा रोल निभाते हुए मीटिंग में धारा 370 का मसला नहीं उठाया, मगर इस बात पर ज़रूर ज़ोर दिया कि जम्मू कश्मीर के ज़मीन जायदाद की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए केन्द्र सरकार कोई उचित क़दम उठाए। जैसा कि धारा 35-ए के ज़रिए उन्हें सुरक्षा प्राप्त थी। अब या तो उस धारा को बहाल कर दिया जाए या फिर लोकसभा के ज़रिए कानून बनाकर मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और गोवा जैसे राज्यों की तरह उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए, जहां तक धारा 370 का प्रश्न है जैसा कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए उसे न तो कश्मीरी नेताओं की ओर से मीटिंग में उठाया गया और न ही प्रधानमंत्री ने उसकी ओर कोई इशारा दिया।

हमारे विचार में प्रधानमंत्री की ओर से बुलाई गई यह कश्मीरी नेताओं की सर्वदलीय मीटिंग काफी हद तक सफल रही है जिसके लिए प्रधानमंत्री के साथ राज्य के राजनैतिक नेता भी बधाई के पात्र हैं। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जो देश की आज़ादी के 75 वर्ष बीतने के बाद भी विकास से कोसों दूर है। जम्मू कश्मीर में आमदनी के ज़राए में सैलानियों और फलों के बाग़ात से पैदावार ही अहम स्रोत है जो पिछले लगभग बीस सालों से समाप्ति की ओर चल पड़ा था। सैलानी राज्य में जहां भी जाएंगे जब वह अमन व शांति का वातावरण होगा वहां जाएंगे, और पैदावार में भी समय समय सफलता मिलेगी जब बाग़ों के मालिकों को काम करने का अवसर मिलेगा और यह सब पिछले बीस सालों से कट्टरवाद की फिज़ा की वजह से समाप्त हो चुका है। इसलिए ज़ाहिर है अगर कश्मीरी नेता राज्य का विकास और ख़ुशहाली चाहते हैं तो उन्हें सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़ना होगा। हमारे विचार से उनको यह मांग समय के अनुसार और राज्य की जनता के हित में हैं कि जहां कश्मीरियों की ज़मीन जायदाद की सुरक्षा की जाए वहीं कश्मीरी युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएं।

बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कश्मीरी नेताओं की यह बैठक जिस यक़ीन और सौहार्दपूर्ण माहौल में समाप्त हुई उससे जल्द ही कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली और आम जनता की ज़िन्दगी में बेहतरी के लिए रास्ते खुलने की उम्मीद जगी है। हालांकि इस मीटिंग का कोई पहले से एजेंडा तय नहीं था मगर गुपकार संगठन के नेताओं और मीटिंग में शामिल दूसरे नेताओं ने जिस खुलेमन के साथ बैठक में अपनी बातें रखीं और उन्हें हमारे प्रधानमंत्री जी न केवल ध्यानपूर्वक सुना बल्कि उस पर अपने विचार भी सकारात्मक रूप में सांझा किए। उससे यह उम्मीद करना कोई अतिश्योक्ति न होगी कि दोनों ही पक्ष इस बारे में गंभीर है और जम्मू कश्मीर का विकास ही उनका असल एजेंडा है। इस से यह बात भी उभरकर सामने आती है कि केन्द्र का रुख़ भी पहले के मुकाबले नर्म पड़ा है। राज्य के सियासी नेता भी अब यह समझने लगे हैं कि केन्द्र से टकराव मोल लेकर कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। इस तरह केन्द्र और राज्य में जो लम्बे समय से दूरी बनी हुई थी वह कुछ ख़त्म सी हुई लगती है, जो कश्मीरी जनता की एक बड़ी सफलता है इस से विश्व स्तर पर भी भारत के बारे में एक अच्छा संदेश जाएगा जो अभी तक कश्मीर में ज़ुल्म व अत्याचार के नाम से पूरी दुनिया में प्रचारित हो रही था और शायद यही वजह है कि हमारे केन्द्रीय नेतृत्व ने सकारात्मक व्यवहार के साथ मीटिंग करने की ओर ध्यान आकर्षित किया। जो एक सफल और प्रशंनीय प्रयास है। इस सफल प्रयास के लिए जहां हमारे प्रधानमंत्री बधाई के पात्र हैं, वहीं कश्मीरी नेता भी बधाई के क़ाबिल हैं।□□

तारीख़े इस्लाम

ख़ुतबाते सीरते तैयिबा

मुफ़्ती मुहम्मद सलमान मंसूरपुरी किस्त-81

वाक़िआ-ए-इफ़्क़

ग़ालिबन इसी सफ़र में एक अहम वाक़िआ यह पेश आया कि मदीना मुनव्वरा के मुनाफ़िक़ीन पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम को अज़ीयत देने में लगे रहते थे कि आप को किसी तरह अज़ीयत पहुंचे, इत्तिफ़ाक़ ऐसा हुआ कि सफ़र में हज़रत आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि अल्लाहु अ़न्हा आप के साथ थीं, क़ाफ़िले का रात को पड़ाव था, जब सुबह को सवेरे चलने का ऐलान होता, तो यह तरीक़ा था कि इस्तिंजे वग़ैरह से फ़ारिग़ होकर फिर सफ़र शुरू करते, तो हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ि अल्लाहु अ़न्हा इस्तिंजे के लिए तशरीफ़ ले गईं, वहाँ उनका हार गिर गया, अंधेरे की वजह से तलाश करने में देर हो गई, जब वापस तशरीफ़ लाईं, तो देखा कि क़ाफ़िला जा चुका है, लोग कजावे पर बैठा करते थे, औ़रतों का कजावा परदे में होता था, हज़रत आइशा चूँकि हल्की फुल्की थीं, लोगों ने समझा कि आप मौजूद हैं, इस लिए कजावा ऊँट पर रख दिया और ऊँट चलता हो गया और क़ाफ़िला जा चुका, जंगल बयाबान होने की वजह से हज़रत आइशा सिद्दीक़ा बहुत परेशान हुईं, तो आप ने यह अ़क़लमन्दी की कि जहाँ आप का ऊँट था वहीं पर तशरीफ़ फ़रमा हो गईं, कि जब हुज़ूर मुझे न पायेंगे, तो किसी को यहीं भेजेंगे, अगर कहीं और चली गई तो और ज़्यादा मुश्किल पेश अयेगी। (बुख़ारी शरीफ़ जि. 2 स. 594)

पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम का तरीक़ा यह था कि क़ाफ़िला चला जाता तो एक आदमी पीछे चलता था ताकि अगर कोई चीज़ गिर जाये तो उसको उठाता हुआ चले, यह भी आप के हुस्ने इन्तिज़ाम की दलील थी, तो इस काम के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत सफ़वान बिन मुअ़त्तल रज़ि अल्लाहु अ़न्हु को मुक़र्रर फ़रमा रखा था, जब वह पीछे से आए तो एक साया सा मालूम हुआ, जब क़रीब हुए तो देखा कि यह तो हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ि अल्लाहु अ़न्हा हैं, तो ज़ोर से

इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ़न

पढ़ा। हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा मुतवज्जेह हुईं, उन्होंने अपना ऊँट नीचे बैठाया, तो हज़रत आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि अल्लाहु अ़न्हा उस पर सवार हो गईं, हज़रत सफ़वान रज़ि अल्लाहु अ़न्हु ने ऊंट की नकेल पकड़ी और लाकर पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम के क़ाफ़िले में शामिल कर दिया, उस क़ाफ़िले में रईसुल मुनाफ़िक़ीन अब्दुल्लाह बिन उबई भी मौजूद था, उसको कहीं से पता लग गया फिर क्या था, उस ने एक तूफ़ान बना कर खड़ा कर दिया, और कहा कि

नऊ़ज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हज़रत आ़इशा रज़ि अल्लाहु अ़न्हा का हज़रत सफ़वान रज़ि अल्लाहु अ़न्हु से गलत तअ़ल्लुक़ है। (अल बिदाया वन्निहाया, 4/548, बुख़ारी शरीफ़, 2/594) (जारी)

देश में बच्चों की वैक्सीन भी जल्द आएगी

डॉ॰ एन॰के॰ अरोड़ा

डॉ॰ एन॰ के॰ अरोड़ा वैक्सीन विशेषज्ञ है। भारत में चली रूबेला, पोलियो और निमोनिया जैसे कई वैक्सिनेशन ड्राइव का हिस्सा रहे। इन दिनों वह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) में कोरोना वैक्सीन के लिए बने ऑपरेशंस रिसर्च ग्रुप के हेड हैं। पेश वैक्सीन और वैक्सीनेशन से जुड़े अनेक मुद्दों पर उनसे हुई बातचीत के प्रमुख अंश :-

प्रश्नः- कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव भारत में चले अभी तक के टीकाकरण अभियानों से अलग कैसे है?

उत्तरः- टीकाकरण कार्यक्रम के पीछे मुख्य सोच यह है कि प्रतिरोधक शक्ति बढ़े। दूसरे, अभी तक हम टीकाकरण को बच्चों और गर्भवती महिलाओं के साथ ही जोड़ते रहे हैं, जैसे डीपीटी, खसरा, टेटनस आदि। अभी तक हमारा सिस्टम, हमारे सोचने और संशय करने के तरीक़े इन्हीं दोनों वर्गों को समर्पित रहे हैं। यह भारत ही नहीं विश्व में पहली बार है कि इतनी बड़ी तादाद में व्यस्कों को टीके लग रहे हैं। बीमारी अभी एक से एक डेढ़ वर्ष पुरानी है और टीका तकरीबन छह महीने पुराना है। पिछली बीमारियों में टीका बनकर आने में दसियों वर्ष लगे थे। बच्चों का संरक्षण उनके माता-पिता के हाथ में होता है, वे वहां सेफ फील करते हैं मगर वयस्कों के मन में एक असुरक्षा, भय और संशय है। इस तरह से कोविड टीकाकरण अभी तक के अभियानों से अलग रहा है।

देखा गया है कि इस बीमारी पर बच्चों पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं होता। बच्चे अगर संक्रमित हो भी जाते हैं, तो उनमें कोई लक्षण नहीं होते, या फिर बहुत हल्के लक्षण होते हैं। जाने- अनजाने वे संक्रमण के वाहक बन जाते हैं। इसलिए बच्चों का भी टीकाकरण ज़रूरी है। बच्चों के ट्रायल 2 से 18 वर्ष की आयु के बीच में चल रहे हैं नतीजे सितंबर के अंत या अक्तूबर की शुरुआत तक आ जाएंगे।

प्रश्नः- पहले-पहल टीके 50 वर्ष से ऊपर के लोगों को दिए गए। यह किस आधार पर तय किया गया, क्योंकि दूसरी लहर में नौजवानों की भी अच्छी ख़ासी संख्या में मौत हुई?

उत्तरः- कोविड के टीके असीमित मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे में उसे बांटने की प्रक्रिया में प्राथमिकता पर ज़ोर दिया जाता है। पिछले वर्ष हमने देखा कि कोविड पेशेंट की आयु 50 या 50 से ऊपर है, तो उसकी मृत्यु की आशंका 17 से 20 प्रतिशत ज़्यादा रहती है। फिर पिछले 3 माह में देखा कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़े, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन, मेडिसिन, बेड्स की कमी की गई। हमारी हेल्थ सर्विस तहस नहस हो गई। पिछले वर्ष 20-25 प्रतिशत बीमारी 45 वर्ष से ऊपर वालों को हुई और अस्पताल में दाख़िला और 90 प्रतिशत मौत भी उन्हीं की हुई। इसी के मद्देनज़र सीनियर्स को पहले टीका दिया गया। नौजवानों की मौत के मामले में सच्चाई यह है कि अस्पताल में दाख़िले और मौत की आशंका हर आयु में अलग होती है, जैसे 10 वर्ष से कम आयु में यह 2 से 3 प्रतिशत, 10 से 25 साल की आयु में 4 से 5 प्रतिशत, 25-45 वर्ष की आयु में 15 प्रतिशत और बाकी बची 80 से 90 प्रतिशत की आशंका 45 वर्ष से ऊपर वालों में देखी जाती है। इस बार हमें अपने युवा साथियों की मृत्यु इसलिए दिखाई दी क्योंकि पिछले वर्ष एक दिन में अधिकतम मामले एक लाख तक गए थे, जो इस वर्ष अधिकतम चार लाख हो गए। ये चार लाख मामले करीब एक सप्ताह तक ऐसे ही आते रहे। अगर हम इसे प्रतिशत में देखें, तो युवाओं पर इसका असर उतना ही है, जितना पिछले वर्ष था।

प्रश्नः- बच्चों पर कोवैक्सीन ट्रायल चल रहा है किस एज ग्रुप को सैंपल के तौर पर ट्रायल के लिए रखा है और नतीजे कब आएंगे..?

उत्तरः- देखा गया है कि इस बीमारी पर बच्चों पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं होता। बच्चे अगर संक्रमित हो भी जाते हैं, तो उनमें कोई लक्षण नहीं होते, या फिर बहुत हल्के लक्षण होते हैं। जाने- अनजाने वे संक्रमण के वाहक बन जाते हैं। इसलिए बच्चों का भी टीकाकरण ज़रूरी है। बच्चों के ट्रायल 2 से 18 वर्ष की आयु के बीच में चल रहे हैं नतीजे सितंबर के अंत या अक्तूबर की शुरुआत तक आ जाएंगे। ऐसे में इस वर्ष की अन्तिम तिमाही या अगले वर्ष की पहली तिमाही में बच्चों का भी टीकाकरण हो सकेगा। जाइड्स कैडिला की डीएनए वैक्सीन का ट्रायल भी 12 से 18 वर्ष के बच्चों पर चल रहा है, इसके नतीजे अगले 2-3 महीनों में आ जाएंगे।

प्रश्नः- आईसीएमआर कॉकटेल वैक्सीनेशन की भी बात कह रहा है। क्या उस पर कुछ ट्रायल हुए..?

उत्तरः- अगर किसी को एक डोज कोविडशील्ड और दूसरी कोवैक्सीन की लगा दी जाए, तो सुरक्षा की दृष्टि से यह देखना होगा कि शरीर के अंदर क्या रिएक्शन होंगे। यह भी कि क्या इससे शरीर में बेहतर प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है? यूरोप में कुछ स्टडीज हुई है, जिनमें पहली कोविडशील्ड और दूसरी डोज फाइजर-बायोनटेक की वैक्सीन के बाद होने वाले साइड इफेक्ट्स जैसे फीवर, पेन, सिरदर्द, बदन दर्द बढ़ गए। यह बहुत चिंताजनक नहीं था, फिर देखा जा रहा था कि क्या प्रतिरोधक क्षमता पाने में कुछ फायदा हुआ या नहीं? भारत में भी इस तरह के ट्रायल बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे पास 6-7 वैक्सीन होंगी। ट्रायल के लिए एथिकल क्लियरेंस चाहिए होती है, इस तरह की स्टडीज भारत में भी प्लान की जा रही हैं।

प्रश्नः- कोवैक्सीन की बूस्टर डोज कब तक आएगी और यह नॉर्मल वैक्सीन से अलग कैसे होगी..?

जो भी वैक्सीन टीकाकरण कार्यक्रम में डाली जाती है, उसका गहराई से निरीक्षण होता है कि यह नए म्यूटेंटस पर काम कर रही है? दूसरे, अगर हम कोरोना उचित व्यवहार छोड़ देंगे, तो दुनिया की कोई शक्ति हमें वायरस से नहीं बचा सकती। इसलिए मास्क लगाना, हाथों को बार-बार धोना, साफ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन आगे भी ज़रूरी है।

उत्तरः- बूस्टर डोज के ट्रायल भी कंपनी ने शुरू किए हैं। बूस्टर का उद्देश्य यही है कि शरीर में प्रतिरोधक क्षमता लंबे समय तक बनी रहे और कोरोना अटैक न कर पाए। लेकिन अभी यह नहीं पता कि बूस्टर डोज लगेगी या नहीं। यह पूरी तरह वैज्ञानिक प्रश्न है, जिसका कंप्लीट उत्तर अभी उपलब्ध नहीं है।

प्रश्नः- ऐसा भी सुना जा रहा है कि कोरोना शायद कभी ख़त्म नहीं होगा, म्येंटेंट्स भी आ रहे हैं..?

उत्तरः- मुझे लगता है कि हमें ज्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी वैक्सीन टीकाकरण कार्यक्रम में डाली जाती है, उसका गहराई से निरीक्षण होता है कि यह नए म्यूटेंट्स पर काम कर रही है? दूसरे, अगर हम कोरोना उचित व्यवहार छोड़ देंगे, तो दुनिया की कोई शक्ति हमें वायरस से नहीं बचा सकती। इसलिए मास्क लगाना, हाथों को बार-बार धोना, साफ सफ़ाई, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन आगे भी ज़रूरी है। ◻◻

समान सोच वाली पार्टियाँ पहले साथ आएं विपक्ष का नेता तो चुनाव के बाद भी चुन लेंगे : तेजस्वी यादव

लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का मानना है कि 2024 का चुनाव मोदी के ख़िलाफ़ जनता लड़ रही होगी। ऐसे में उनके ख़िलाफ़ विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इस पर अभी से बहस बेमानी है। चिराग़ पासवान को साथ लेने के प्रश्न पर उनका कहना है कि यह चिराग़ पासवान पर निर्भर हैं कि वह अपने पिता की राजनीतिक विरासत को कैसे संजोना चाहते हैं। पेश है तेजस्वी यादव से हुई एक विशेष बातचीत के प्रमुख अंश।

प्रश्नः- बिहार के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को आप किस रूप में देखते हैं?

उत्तरः- हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। खींचतान और सत्तालोलुपता से बिहार का नुकसान हो रहा है। अब सत्तासीन दलों के विधायक, मंत्री भी जनता की नब्ज़ को समझकर विद्रोह करने की तैयारी में हैं। पिछले दिनों सरकार के ही एक मंत्री ने भ्रष्टाचार और बेलगाम अफसरशाही से तंग आकर इस्तीफा देने का ऐलान किया। कोरोना की दूसरी लहर में पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे राज्य सरकार ने जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया।

प्रश्नः- चिराग़ पासवान से आपकी नज़दीकी बढ़ने की बात कही जा रही है। क्या चिराग़ को आप अपने गठबंधन में लेना चाहेंगे..?

उत्तरः- रामविलास पासवान जी से हम लोगों का दशकों पुराना पारिवारिक संबंध रहा है। कुछ कालखंडों को छोड़ लालू जी और रामविलास पासवान जी ने एक साथ राजनीति भी की है। उनकी मृत्यु के पश्चात् जिस तरीक़े से भाजपा और नीतीश कुमार जी ने विश्वासघात किया है, उससे हम सभी आहत हैं। अब चिराग़ जी को तय करना है कि वह अपने पिता की विरासत को कैसे संजोना और आगे बढ़ाना चाहते हैं।

प्रश्नः- वैसे एलजेपी की टूट का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ने की संभावना है.?

उत्तरः- एलजेपी को तोड़ने के अनैतिक कार्य में जो लोग या पार्टियां संलिप्त हैं, उनके ख़िलाफ़ आक्रोश का माहौल है। जनता समझ चुकी है कि नीतीश जी और मोदी/शाह की जोड़ी को सिर्फ सत्ता की भूख है और इसकी प्राप्ति के लिए वे लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। भाजपा-जेडीयू के साथ जो छोटे दल सरकार में शामिल हैं, वे पहले तो सिर्फ अपनी उपेक्षा से पीड़ित थे, अब वे अपने दल के भविष्य को लेकर आशंकित हैं।

प्रश्नः- आप पर एक बड़ा आरोप यह है कि बिहार को जब आपकी ज़रूरत होती है, तब आप वहां होते ही नहीं हैं?

उत्तरः- यह आरोप सत्ता में बैठे वे लोग लगा रहे हैं, जो अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन करने में असफल रहे हैं। मुख्यमंत्री कोरोना काल में खुद 143 दिनों तक अपने आवास से बाहर नहीं निकले। हम जनता की सेवा के लिए निकले तो हम पर आधे दर्जन केस लाद दिए। विपक्ष का नेता होने के नाते जनता मुझ से जो अपेक्षा करती है, मैं उसको पूरा कर रहा हूं। सबको मालूम है कि मेरे पिता बीमार हैं इसी सिलसिले में दिल्ली में था।

प्रश्नः- राष्ट्रीय राजनीति की बात की जाए तो 2024 के मद्देनज़र आप विपक्ष को कितना तैयार देखते है..?

उत्तरः- मोदी सरकार की लगभग सभी नीतियां जनविरोधी और देशविरोधी हैं। संख्या बल की बदौलत सरकार तानाशाही कर रही है। पिछले सात साल में मोदी सरकार ने अपने चुनावी वायदों को जुमला साबित करने के अलावा कोई बड़ा कार्य नहीं किया हैं 2024 में निश्चित रूप से ग़ैर भाजपा सरकार बनेगी।

प्रश्नः- राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के ख़िलाफ़ गोलबंदी के लिए मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस को जो रोल निभाना चाहिए था, क्या वह निभा पा रही है..?

उत्तरः- मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस समेत सभी समान विचारधारा वाली पार्टियों को अपने छोटी बड़ी महत्वकांक्षाओं को त्यागकर देश को बचाने के लिए सार्थक प्रयास करना होगा। साझा लड़ाई में हमसे और हमारी पार्टी से जो भी सहयोग और कुर्बानी की अपेक्षा जनता और सहयोगी दल करते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं।

प्रश्नः- 2024 का चुनाव मोदी के ख़िलाफ़ विपक्ष को चेहरा घोषित करके लड़ना चाहिए या बग़ैर चेहरे के?

उत्तरः- ये सब निरर्थक बाते हैं। 2024 का आम चुनाव मोदी के

बाक़ी पेज 11 पर

दो बच्चों की नीति नहीं चलेगी, चीन को देख लीजिए

असम के नए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने राज्य में दो बच्चे की नीति पर और कड़ाई बरतने के लिए कुछ अपवादों के साथ उन परिवारों को कई सरकारी सब्सिडी और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने का भी संकेत दिया है, जिनके निश्चित कट-ऑफ डेट यानि तय तारीख़ के बाद दो से अधिक बच्चे होंगे। इससे पहले असम सरकार इस वर्ष जनवरी के बाद से दो से अधिक बच्चों वाले परिवारों को राज्य में सरकारी नौकरी और स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारी के लिए अयोग्य घोषित करने का फैसला कर चुकी है।

इधर, उत्तर प्रदेश से भी ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि राज्य सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए क़ानून लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है, जिसमें असम की तरह ही दो से अधिक बच्चे पैदा करने वाले परिवारों को सरकारी नौकरियों, जन कल्याण योजनाओं और लाभों से वंचित करने का प्रस्ताव हैं यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी भाजपा नेता और वकील अश्विन उपाध्याय ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े उपायों की मांग के साथ एक जनहित याचिका दाख़िल कर रखी है।

देश में इस मुद्दे पर तीखी बहसें नई नहीं हैं। आमतौर पर यह मांग अनुदार दक्षिणपंथी राजनीतिक खेमे की ओर से उठती रही है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े और दंडात्मक उपायों के समर्थक अधिकांश पार्टियों में रहे हैं। 90 के दशक से राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक आदि राज्यों में दो से अधिक बच्चे पैदा होने पर पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी के अयोग्य ठहराए जाने का क़ानून बनाए गए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में दो से अधिक बच्चे होने पर परिवारों को सरकारी नौकरियों से भी वंचित करने के क़ानून पहले से हैं। आपातकाल के दौरान जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर जिस तरह से जबरन नसबंदी और दूसरे डराने धमकाने वाले सख़्त तौर तरीक़े नाकाम रहे, वह इतिहास भी किसी से छुपा नहीं है।

हैरानी की बात यह है कि देश में दो बच्चों की नीति ऐसे समय में बन रही है, जब 80 के दशक से जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुख्यात रहे चीन में 'एक बच्चा नीति के कारण पैदा हुई विसंगतियों और समस्याओं ने उसे एक जनसांख्यिकीय आपदा के कगार पर पहुंचा दिया है। चीन की जनगणना के ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है कि उसकी आबादी में एक ओर 60 वर्ष से अधिक आयु के बूढ़ों की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी ओर, युवा और वर्किंग लोगों की संख्या घट रही है।

इसलिए चीन सरकार ने हाल में 'एक बच्चा (वन चाइल्ड) की अपनी नति में एक और बड़ा बदलाव करते हुए परिवारों को तीन बच्चे पैदा करने की छूट दी है। इससे पहले चीन ने 2016 में दो बच्चे पैदा करने की अनुमति दी थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी जनसंख्या में महिलाओं की कुल फर्टिलिटी रेट में गिरावट और उसके रिप्लेसमेंट रेट से भी नीचे चले जाने के रुझान में कोई फर्क नहीं आया है। जनसंख्या में स्थायित्व के लिए महिलाओं की फर्टिलिटी रेट 2.1 रहनी चाहिए, जिससे एक परिवार खुद को दोहरा सके और जनसंख्या में वर्किंग युवाओं की संख्या स्थिर हो सके।

लेकिन चीन में 80 के दशक की अदूरदर्शी और अवैज्ञानिक जनसंख्या नीति के कारण फर्टिलिटी रेट (प्रजनन की दर) 1970 के 5.8 से घटकर 2015 में 1.6 रह गई, जो रिप्लेसमेंट रेट से भी कम है। यही नहीं, उसकी आबादी में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों की तादाद बढ़कर 18.7 प्रतिशत पहुंच गई। इससे चीन में न सिर्फ वृद्धों की तादाद बढ़ने से उनकी देखभाल और सामाजिक कल्याण के बजट पर दबाव बढ़ा है बल्कि वर्किंग लोगों की संख्या घटने से कामगारों की कमी होने और अर्थव्यवस्था में उपभोग तथा मांग पर नकारात्मक असर पड़ने का ख़तरा पैदा हो गया है।

चीन इस नीति को पिछले पांच वर्ष से दो बार बदलने और पहले दो बच्चे पैदा करने और अब 3 बच्चे पैदा करने की छूट देने का ऐलान कर चुका है, लेकिन कुल फर्टिलिटी रेट 2015 के 1.6 से गिरकर 2020 में 1.3 प्रतिशत रह गई। चीन अब अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन और कई अन्य सुविधाएं देने की बात कर रहा है। चीन ही नहीं, दुनिया के कई और विकसित देश भी महिलाओं की कुल फर्टिलिटी रेट में गिरावट के रुझान और उसके रिप्लेसमेंट रेट से भी नीचे चले जाने के कारण चिंतित है। इन देशों में तीव्र विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा के प्रसार और वर्कफोर्स में महिलाओं की बढ़ी भागीदारी के कारण ऐसा हुआ है। यानि विकास से बड़ा कोई गर्भनिरोधक नहीं है।

मानवीय विकास सूचकांक में सबसे ऊपरी पायदान पर खड़े दुनिया के अधिकांश विकसित और अमीर देशों में महिलाओं की कुल फर्टिलिटी रेट 1.2 से लेकर 0.98 तक पहुंच चुकी है, जो रिप्लेसमेंट रेट से काफी कम है। इसलिए इन देशों में वृद्धों की संख्या बढ़ और वर्किंग आबादी घट रही है। इससे उनकी अर्थव्यवस्था के लिए कई परेशानियां खड़ी हो रही हैं इनमें से कई देश परिवारों को बच्चे पैदा करने के लिए नक़द लाभ से लेकर और कई प्रोत्साहन दे रहे हैं।

लगता है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण के कड़े नियमों के पैरोकारों ने चीन से कोई सबक़ नहीं सीखा है। वे ऐसी बेतुकी मांग तब कर रहे हैं जब देश में बिना किसी कड़े क़ानून और नियमों के कुल फर्टिलिटी रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में 1994 में कुल फर्टिलिटी रेट 3.4 थी, जो 2015 में घटकर 2.2 रह गई। ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक, देश के 19 राज्यों में परिवारों में औसतन दो और उससे कम बच्चे हैं, जो रिप्लेसमेंट रेट के करीब है और जो जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए ज़रूरी है। नहीं तो दो-तीन दशकों में भारत भी खुद को चीन की स्थिति में खड़ा पाएगा।

मज़े की बात यह है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े क़ानून की इस बेतुकी बहस में डेमोग्राफिक डिविडेंड यानि देश की आबादी 65 प्रतिशत से अधिक युवाओं और वर्किंग आबादी की मौजूदगी की चर्चाएं भुला दी गई हैं। बहस तो इस पर होनी चाहिए कि डेमोग्राफिक डिविडेंड (जनसांख्यिकी विभाजन) का लाभ लेने के लिए युवाओं को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण रोज़गार देने के लिए क्या किया जा रहा है। ▫▫

रोज़गार ....

12वीं के बाद कैरिअर हर स्ट्रीम के लिए हैं विकल्प

कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद हमारे देश यानि भारत में 12वीं तथा 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गए हैं और बिना एग्ज़ाम दिए ही बच्चों को प्रमोट करने के लिए प्लानिंग की जा रही है, यह सब बच्चों को कोरोना के जाल से बचाए रखने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया एक सार्थक प्रयास है। एक ज़माना था जब बच्चे 12वीं के बाद सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग के ख़्वाब देखा करते थे और जो इन दोनों फील्ड में नहीं जाते थे, वह सामान्य स्नातक की पढ़ाई करते थे। लेकिन आज के छात्र अपने कैरिअर को लेकर काफी जागरुक हो गए हैं और 12वीं पास करते ही अपने लिए विशेषज्ञ क्षेत्र चुन लेना चाहते हैं। हालांकि अब भी कई माता पिता और छात्रों को यह पता भी नहीं रहता कि वह क्या-क्या कर सकते हैं। मेडिकल, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के अलावा और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां कैरिअर भी सुरक्षित हो और प्रतिष्ठा के लिहाज़ से भी वे बेहतर हों, यहां हम कुछ ऐसे ही कैरिअर विकल्पों के बारे में बता रहे हैं जिनमें हर स्ट्रीम के छात्र जा सकते हैं।

कम्प्यूटर साइंस

इस क्षेत्र में किसी भी स्ट्रीम से 12वीं कर आप प्रवेश पा सकते हैं। बीसीए यानि बैचलर इन कम्प्यूटर एप्लिकेशन के लिए 10+2 में आर्टस साइंस या कॉमर्स की कोई बाध्यता नहीं है। यदि आपकी रुचि कम्प्यूटर साइंस में है तो निसंकोच बीसीए पाठ्यक्रम चुन सकते हैं।

अकाउंटेंसी व कंपनी सेक्रेटरीशिप में कई विकल्प

पहले केवल कॉमर्स के छात्र ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी या कंपनी सेक्रेटरीशिप के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन कंपनी सेक्रेटरीशिप अब किसी भी स्ट्रीम के छात्र इसमें प्रवेश ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंस की मांग विदेशों में भी काफी हैं इस कारण चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक आकर्षक कैरिअर विकल्प है ' इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंस ऑफ इंडिया भारत सरकार के अधीन अपनी पंजीकृत संस्था हैं इसी प्रकार कंपनी सेक्रटरीशीप के पाठ्यक्रम के लिए 'द इंस्टीट्यूट आफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया अधिकृत है। इसके लिए www.icsi.edcuदेखें।

फाइनेंस के क्षेत्र में एक नया क्षेत्र उभर कर आया है, जिसे कॉस्ट एण्ड वर्क अकाउंटेंसी के नाम से जाना जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी या कम्पनी सेक्रेटरीशिप की तरह इनमें तीन स्तरों - फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा को पास कर छात्र कास्ट काउंटेंट की योग्यता प्राप्त कर सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए आप इंस्टीटयूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.icmai.in देखें।

शेयर ब्रोकर

शेयर ब्रोकर के क्षेत्र में भी आप अपना कैरिअर सुरक्षित कर सकते हैं। इसके लिए आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा आयोजित एक योग्यता परीक्षा पास करनी होती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा आयोजित परीक्षा को 'एनएसई सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट' और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा आयोजित परीक्षा को सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑन कैपिटल मार्केटस कहते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप एनएसई की वेबसाइट या बीएसई की वेबसाइट wwwbseindia.com पर जाएं। वेबसाइट में आप तमाम जानकारी आसानी से पा सकते हैं।

कानून के क्षेत्र में कैरिअर

12वीं करने के बाद छात्रों का एक बड़ा तबक़ा लॉ के क्षेत्र में जाता है। आर्ट्स में 10+2 के बाद पांच वर्षीय लॉ इंटिग्रेड पाठयक्रम पूरा कर कानून के क्षेत्र में कैरिअर को एक नई दिशा दी जा सकती है। पहले इस इंटिग्रेटेड पाठयक्रम में केवल बीए-एलएलबी पाठयक्रम होता था, मगर अब बीए एलएलबी के अतिरिक्त व्यापार प्रबंधन की चाह रखने वाले छात्रों के लिए बीबीए एलएलबी, विज्ञान के छात्रों के लिए बीएससी-एलएलबी, बीकॉम एलएलबी पाठयक्रमों की भी घोषणा कर दी गई हैं इस पाठयक्रम में दाख़िले के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानि क्लैट में बैठना होगा। इस प्रवेश जांच परीक्षा के आधार पर देश के प्रतिष्ठित लॉ विश्वविद्यालयों में दाख़िला मिलता है। विशेष जानकारी के लिए देखें: www.clat.com

पत्रकारिता

पत्रकारिता भी एक ऐसा क्षेत्र है, जिसे प्रतिष्ठा से जोड़ कर देखा जाता है। प्रिंट मीडिया और रेडियो पत्रकारिता तो काफी पहले से हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक और वेब जर्नलिज्म के आने के बाद इस क्षेत्र में कैरिअर के अवसर काफी बढ़े हैं। 10+2 आर्ट्स के बाद 3 वर्षीय बैचलर्स इन जर्नलिज्म एण्ड मास कम्युनिकेशन या बीए (जेएमसी) जैसा पाठयक्रम कर आप इस क्षेत्र में क़दम रख सकते हैं। ▫▫

इस्लामी दुनिया

अफ़गानिस्तान के कई ज़िलों पर तालिबान का नियंत्रण

उत्तरी अफ़ग़ानिस्तान में अफ़ग़ान सैनिकों ने मोर्चा छोड़कर भागने के बाद वहां तालिबान की गतिविधियां तेज़ हो गई हैं और रातो-रात उसने कई ज़िलों पर अपना नियंत्रण कर लिया है। इस आशय की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि सैकड़ों की संख्या में अफ़ग़ान सैनिक सीमा पार करके ताजिकिस्तान में चले गए हैं। ताजिकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्टेट कमेटी द्वारा जारी बयान के अनुसार 'तालिबान लड़ाकों के सीमा की ओर बढ़ने के बच 300 से ज़्यादा अफ़ग़ान सैनिकों ने अफ़गानिस्तान के बड़ाशखान प्रांत से देश की सीमा में प्रवेश किया।

ईरान ने पाबंदियों को दोबारा किया लागू

तेहरान : ईरान ने प्रमुख शहरों में फिर से कोरोना वायरस संबंधी पाबंदियों को लागू करने की घोषणा की। यह क़दम देश में कोरोना वायरस के डेल्टा प्रकार के तेज़ी हो रहे प्रसार और संक्रमण की नई लहर आने की आशंका के मद्देनज़र उठाया गया है। पश्चिम एशिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित ईरान करीब एक वर्ष से कोरोना वायरस महामारी के ख़िलाफ़ लड़ रहा है और उसने राजधानी तेहरान सहित 275 शहरों में ग़ैर ज़रूरी कारोबार को बंद करने का आदेश दिया है।

फिलीपींस का सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त

मनीला: फिलीपींस के एक दक्षिणी प्रांत में सैन्य बलों को ले जा रहे वायुसेना के एक सी-103 विमान के उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण कम से कम 52 सैनिकों और तीन नागरिकों की मौत हो गई। कम से कम 49 सैनिकों को बचा लिया गया है। यह देश की वायुसेना के इतिहास में सबसे भीषण हादसा है।

इस्राईल ने बैलून बम के जवाब में गाज़ा पर किया हवाई हमला

तेल अवीव: इस्राईल वायु सेना (आईएएफ) ने एक बार फिर गाज़ा पर हवाई हमला किया। गाज़ा पट्टी की ओर से बैलून बम बरसाए जाने के जवाब में इस्राईल की ओर से यह कार्रवाई की गई है। मीडिया के मुताबिक आईएएफ के लड़ाकू विमानों ने हमास के रॉकेट लांचिंग पैड और हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला कर उन्हें ध्वस्त कर दिया। येरुशलम पोस्ट के अनुसार गाज़ा सीमा के पास एशोकल क्षेत्रीय परिषद में आग लगने के बाद इस्राईल रक्षा बल के विमानों ने हमास के रॉकेट लांचिंग पैड और हथियार संयंत्रों को निशाना बनाया। इस्राईल के फायर और रेस्क्यू सेवा के प्रवक्ता ने बताया कि गाज़ा की ओर से बैलून बम गिराए जाने से आग लगी थी। आईएएफ ने गाज़ा में हमास के हथियार संयंत्रों को निशाना बनाया।

भय, समाज और चुनौतियाँ

ज्योति सिडाना

कोरोना महामारी ने स्वास्थ्य संबंधी संकट तो उत्पन्न किया ही है, युवाओं को मानसिक रूप से भयभीत भी कर डाला है। नौजवानों को भविष्य और अस्तित्व का संकट परेशान कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अब से पहले समाज में ऐसी स्थिति नहीं आई, लेकिन तब लोगों में इस तरह का, ख़ासतौर से मौत को लेकर भय नहीं था। फिर इस महामारी के आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि लोग जीवन की सच्चाई जानते हुए भी डरने लगे हैं। इस पक्ष को हाल में देश के विभिन्न हिस्सों में घटी कुछ घटनाओं से और स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। कुछ दिन पहले इंदौर में कोरोना से पति की मौत होने पर पत्नी ने भी अस्पताल की नौवीं मंज़िल से कूद कर आत्महत्या कर ली। एक अन्य घटना में एक प्रोफेसर पति की निजी अस्पताल में कोरोना से मौत होने पर उसकी प्रोफेसर पत्नी ने भी घर पर अपनी जान दे दी। कोटा शहर में एक बुज़ुर्ग दंपति ने अपने कोरोना संक्रमित होने पर ट्रेन के आगे कूद कर सिर्फ इसलिए जान दे दी कि कहीं उनके कारण परिवार में पोते और अन्य सदस्यों को संक्रमण न लग जाए। ऐसी घटनाएं, यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि सामान्यत: परिवार में किसी एक सदस्य की मृत्यु के बाद दूसरे सदस्य उसकी ज़िम्मेदारियों का निर्वाह करते थे, न कि उसके साथ स्वयं को भी समाप्त कर लेते थे। यह भी एक तथ्य है कि किसी निकटतम रिश्तेदार की मृत्यु हो जाने पर व्यक्ति में भावनात्मक बिखराव की स्थिति उत्पन्न होती है, परंतु वह अन्य जीवित सदस्यों को देख कर मज़बूत होता है। फिर आख़िर क्यों लोग इस तरह के क़दम उठाने को मजबूर हो रहे हैं।

यह विज्ञान का युग है, जहां मनुष्य भावनाओं से ऊपर उठ कर तर्क को महत्व देता है तो फिर क्यों इस संकट काल में मनुष्य तार्किकता खोता जा रहा है? आख़िर क्यों वह इतना भयभीत नज़र आ रहा है? संभवत: भय के कारण ही वह सही निर्णय ले पाने में अपने को असमर्थ पाने लगा है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि आज जिस तरह का मंज़र व्याप्त है, उसमें हर इंसान डर के साये में जीने को मजबूर है, क्योंकि कोई भी दर्दनाक और आकस्मिक मौत नहीं मरना चाहता है। यह जानते हुए भी कि जिसने जन्म लिया है, उसका अंत भी एक न एक दिन निश्चित है, फिर प्रकृति के इस अटल सत्य से इंसान क्यों भाग रहा है, यह प्रश्न आज समाजशास्त्रियों के लिए भी बड़ी चुनौती बन गया है इसलिए ऐसे प्रयासों पर चिंतन मनन ज़रूरी हो गया है जिससे इस आपदा से दुनिया को बचाया जा सके। विज्ञान भी मानता है कि इस धरती पर केवल मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसके पास विकसित मस्तिष्क है और उसने अनेक आविष्कारों और नवाचारों को विकसित करके कई बार इसे सिद्ध भी किया है।

दूसरी ओर एक विरोधाभास भी समाज में देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने लोगों के भय में भी लाभ का लोभ नहीं छोड़ा, बल्कि यह कहना ज़्यादा सही होगा कि भय का बाज़ार खड़ा कर डाला। दवाओं, टीकों, ऑक्सीजन हर चीज़ की कालाबाज़ारी हो रही है। यहां तक कि कफ़न और शमशान को भी नहीं छोड़ा। ये सब देख कर मन में यह प्रश्न उठता है कि संकट की इस घड़ी में भी कुछ लोग इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं कि मौत का सौदा करने से भी नहीं चूक रहे। भय का बाज़ार लोगों को डराने के लिए कम था कि मौत का बाज़ार भी खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, कोरोना मरीज़ों की देखभाल के लिए अस्पताल या घर में उनकी तीमारदारी के लिए कुछ लोगों को किराए पर लाया जा रहा है, क्योंकि उनके अपने खून के रिश्तों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। उन्हें इस बात का डर लगा रहा कि कहीं संक्रमित न हो जाएं और मौत का सामना न करना पड़ जाए। इसलिए चार सौ से आठ सौ रुपए रोज़ाना पर इस तरह के तीमारदारों की सेवा लेने से पहले किसी ने यह नहीं सोचा कि क्या इन ज़रूरतमंदों की जान की भी कोई कीमत है? ये भी अपने और परिवार की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं, क्योंकि इनके पास कोई विकल्प नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग खुद को ज़िन्दा रखने के लिए अपनो से दूर हो रहे हैं और कुछ अपनो का जीवन बचाए रखने के लिए खुद को जोखिम में डाल रहे हैं।

समाजशास्त्री अलरिच बैक ने 1986 में अपनी पुस्तक रिस्क सोसायटी में संकेत दिया था कि भविष्य में तकनीकी विकास तेज़ होने के कारण पर्यावरणीय खबरे और असुरक्षा बढ़ेगी। आज वही हो भी रहा है। बैक का तर्क था कि आधुनिकता के दौर में बड़े पैमाने पर अनजान और अदृश्य वैश्विक चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, और ये नए युग की निर्माता होंगी। आधुनिकता ने मानव समाज के सामने अनेक प्रकार के ख़तरे पैदा कर दिए हैं। ये ख़तरे स्थान, समय और सामाजिक भेदभाव की हमारी सभी अवधारणाओं से परे हैं। जो ख़तरा कल हमसे बहुत दूर था, वह आज और भविष्य में सामने खड़ा मिलेगा। आज कोरोना महामारी और इससे बने हालात इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। बैक मानते हैं कि जोखिम भरे समाज से निपटने के लिए इसकी मूल प्रेरणा शक्ति यानि भय की भावना के विषय में विचार करना होगा। उनका तर्क है कि यदि हम भय के कारणों को दूर नहीं कर सकते हैं, तो हम भय का सामना कैसे कर सकते हैं? देखा जाए तो प्राकृतिक जोखिम तो मनुष्य समाज के उद्भव के समय से ही है। लेकिन एटमी ताक़त, रसायनिक और आणविक हथियारों का उत्पादन जैसे जोखिम नए हैं।

तकनीकी के इस युग में केवल वस्तुओं, सेवाओं और सूचनाओं का ही वैश्वीकरण नहीं हुआ है, अपितु जोखिमों और संकटों का भी वैश्वीकरण हुआ है इसलिए बैक अपनी पुस्तक में आने वाले समय में वर्गीय असमानताओं को नकारते हैं। संभवत: यही कारण है कि इस महामारी ने अमीर-ग़रीब, ऊंच-नीच, जाति, धर्म किसी में भी कोई अंतर नहीं किया। विकसित, विकासशील, अविकसित सभी देश इसकी चपेट में हैं और इस संकट से लड़ रहे हैं। इस बात को कहने में कोई गुरेज़ नहीं होना चाहिए कि मौजूदा दौर वर्गहीन पूंजीवाद का है जिसमें सामाजिक असमानता तेज़ी से व्यक्तिगत होती जा रही है और व्यक्तिवादिता इतनी हावी हो चुकी है जिसमें हमारी बुनियादी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रियाएं लगातार नए जोखिम पैदा करती हैं, जिसे बैक 'निर्मित अनिश्चितता' के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

आज आवश्यकता है एक सकारात्मक वातावरण बनाने की, लोगों द्वारा अपने और दूसरों में विश्वास को पुनर्जीवित करने की, यह उम्मीद जगाने कि कोई भी संकट या भय मनुष्य के हौसलों से बड़ा नहीं हो सकता। प्रकृति को हराना असंभव ज़रूर है, पर मनुष्य ने स्वयं जिस संकट को उत्पन्न किया है, उससे निजात पाना असंभव नहीं है। सकारात्मक सोच और भय को हरा कर ही हम संबंधों व समाज के बिखराव को रोक पाएंगे। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस सोच के साथ दूसरों की सहायता के लिए आगे आए हैं, परंतु एक व्यापक स्तर पर इस तरह की मुहिम होनी चाहिए। ❑❑

यह विज्ञान का युग है, जहां मनुष्य भावनाओं से ऊपर उठ कर तर्क को महत्व देता है तो फिर क्यों इस संकट काल में मनुष्य तार्किकता खोता जा रहा है? आख़िर क्यों वह इतना भयभीत नज़र आ रहा है? संभवत: भय के कारण ही वह सही निर्णय ले पाने में अपने को असमर्थ पाने लगा है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि आज जिस तरह का मंज़र व्याप्त है, उसमें हर इंसान डर के साये में जीने को मजबूर है, क्योंकि कोई भी दर्दनाक और आकस्मिक मौत नहीं मरना चाहता है। यह जानते हुए भी कि जिसने जन्म लिया है, उसका अंत भी एक न एक दिन निश्चित है, फिर प्रकृति के इस अटल सत्य से इंसान क्यों भाग रहा है, यह प्रश्न आज समाजशास्त्रियों के लिए भी बड़ी चुनौती बन गया है।

तकनीकी के इस युग में केवल वस्तुओं, सेवाओं और सूचनाओं का ही वैश्वीकरण नहीं हुआ है, अपितु जोखिमों और संकटों का भी वैश्वीकरण हुआ है इसलिए बैक अपनी पुस्तक में आने वाले समय में वर्गीय असमानताओं को नकारते हैं। संभवत: यही कारण है कि इस महामारी ने अमीर-ग़रीब, ऊंच-नीच, जाति, धर्म किसी में भी कोई अंतर नहीं किया। विकसित, विकासशील, अविकसित सभी देश इसकी चपेट में हैं और इस संकट से लड़ रहे हैं। इस बात को कहने में कोई गुरेज़ नहीं होना चाहिए कि मौजूदा दौर वर्गहीन पूंजीवाद का है जिसमें सामाजिक असमानता तेज़ी से व्यक्तिगत होती जा रही है और व्यक्तिवादिता इतनी हावी हो चुकी है जिसमें हमारी प्रक्रियाएं लगातार नए जोखिम पैदा करती हैं।

रवि शंकर

भारत में बालश्रम का नासूर

भारत दशकों से बालश्रम का नासूर झेल रहा है। देश का बचपन अपने सुनहरे सपनों की जगह कभी झाडू पोंछे से किसी के घर को चमका रहा होता तो कभी अपने नाजुक कंधों पर बोझा ढोकर अपने परिवार का पेट पाल रहा होता है। हमारे यहां कहने को बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, पर उनसे मज़दूरी कराने में कोई गुरेज़ नहीं होता। सरकारें बाल मज़दूरी को ख़त्म करने के लिए बड़े-बड़े वादे और घोषणाएं करती हैं, पर नतीजा वही ढांक के तीन पात निकलता है। इतनी जागरुकता के बाद भी भारत में बाल मज़दूरी के ख़ात्मे के आसार दूर-दूर तक नहीं दिखते हैं।

हालांकि बालश्रम केवल भारत तक सीमित नहीं, यह एक वैश्विक घटना है। आज दुनिया भर में, लगभग 21.8 करोड़ बच्चे काम करते हैं, जिनमें से ज़्यादातर को उचित शिक्षा और सही पोषण नहीं मिल पा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक विश्व में इक्कीस करोड़ अस्सी लाख बाल श्रमिक हैं, जबकि अकेले भारत में इनकी संख्या एक करोड़ 26 लाख 66 हज़ार से ऊपर है। दुखद बात यह है कि वे ख़तरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं। उनमें से आधे से अधिक बालश्रम का सबसे ख़राब स्वरूप है, जैसे हानिकारक वातावरण, गुलामी या मजबूर श्रम के अन्य रूपों, मादक पदार्थों की तस्करी और वेश्यावृत्ति सहित अवैध गतिविधियां, सशस्त्र संघर्षों तक शामिल होते हैं।

पढ़ाई और खेलकूद की आयु में वे काम करते हुए अपना बचपन गंवा देते हैं। यह ठीक है कि हमारे देश में बालश्रम को रोकने के लिए कई नियम और क़ानून हैं, लेकिन उनका सख़्ती से पालन नहीं होता। यही वजह है कि भारत में बालश्रम मुख्य समस्याओं में से एक है। ऐसा नहीं कि बालश्रम को ख़त्म नहीं किया जासकता है अगर लोगों में जागरुकता बढ़ाई जाए और क़ानून का सही तरीक़े से पालन हो, तो देश से बाल मज़दूरी को पूरी तरह ख़त्म किया जा सकता है। मगर देश में बालश्रमिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उनसे ख़तरनाक काम भी कराए जाते हैं। वैसे तो बालश्रम के अनेक कारण हो सकते हैं, पर प्रमुख कारण देखा जाए तो ग़रीबी ही है। ग़रीब लोग अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपने बच्चों को मजदूरी पर भेजते हैं, यह उनकी मजबूरी होती है। वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजने की स्थिति में नहीं होते, इसलिए वे बच्चों को काम पर भेजते हैं। कई बच्चों के माता-पिता न होने के कारण वे बचपन में ही मज़दूरी कर अपना पेट भरते हैं। कई बालश्रमिकों के परिवार की स्थिति पढ़ाई के अनुकूल होने के बाद भी मज़दूरी के लालच में वे काम पर जाते हैं। मौजूदा समय में ग़रीब बच्चे सबसे अधिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। आलम यह है कि जो ग़रीब बच्चियां होती हैं, उनको पढ़ने भेजने के बजाय घर में ही उनसे बालश्रम यानि घरेलू काम कराया जाता है। इसके अलावा बढ़ती जनसंख्या, सस्ती मज़दूरी, शिक्षा का अभाव और मौजूदा क़ानून का सही तरीक़े से पालन न कराया जाना बाल मज़दूरी के लिए ज़िम्मेदार है। बाल मज़दूरी इंसानियत के लिए अभिशाप है। देश के विकास में बड़ा बाधक भी है।

यह ठीक है कि हमारे देश में बालश्रम को रोकने के लिए कई नियम और क़ानून हैं, लेकिन उनका सख़्ती से पालन नहीं होता। यही वजह है कि भारत में बालश्रम मुख्य समस्याओं में से एक है। ऐसा नहीं कि बालश्रम को ख़त्म नहीं किया जासकता है अगर लोगों में जागरुकता बढ़ाई जाए और क़ानून का सही तरीक़े से पालन हो, तो देश से बाल मज़दूरी को पूरी तरह ख़त्म किया जा सकता है। मगर देश में बालश्रमिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उनसे ख़तरनाक काम भी कराए जाते हैं। वैसे तो बालश्रम के अनेक कारण हो सकते हैं, पर प्रमुख कारण देखा जाए तो ग़रीबी ही है। ग़रीब लोग अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपने बच्चों को मजदूरी पर भेजते हैं, यह उनकी मजबूरी होती है।

स्वस्थ बालक राष्ट्र का अभिमान है। आज का बालक कल का भविष्य है। ये उक्तियां स्पष्ट करती हैं कि देश की उन्नति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व बच्चे ही हैं। मगर तब हम उन्हीं कल के भविष्यों को चार की दुकानों, ढाबों तथा उन क्षेत्रों में कार्य करते हुए देखते हैं, जहां पर उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता का दुरुपयोग किया जाता है, तो हम शर्मसार हो जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार किसी उद्योग, कल कारखाने या किसी कंपनी में मानसिक या शारीरिक श्रम करने वाले पांच से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को बालश्रमिक कहा जाता है। भारत में 1979 में सरकार बाल मज़दूरी ख़त्म करने के उपाय सुझाने के लिए गुरुपाद स्वामी समिति का गठन किया गया था। तब बालश्रम से जुड़ी सभी समस्याओं के अध्ययन के बाद उस समिति द्वारा सिफारिश पेश की गई थी, जिसमें ग़रीबी को मज़दूरी के मुख्य कारण के रूप में देखा गया और सुझाव दिया गया कि ख़तरनाक क्षेत्रों में बाल मज़दूरी पर प्रतिबंध लगाया जाए और उन क्षेत्रों के कार्य के स्तर में सुधार किया जाए। समिति द्वारा बाल मज़दूरी करने वाले बच्चों की समस्याओं के निराकरण के लिए बहुआयामी नीति की ज़रूरत पर भी बल दिया गया। वहीं 1986 में बालश्रम निषेध और नियमन अधिनियम पारित हुआ, जिसके अनुसार ख़तरनाक उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति ग़ैरक़ानूनी है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में शोषण और अन्याय के विरुद्ध अनुच्छेद 23 और 24 को रखा गया है। अनुच्छेद 23 ख़तरनाक उद्योगों में बच्चों को रोज़गार पर प्रतिबंध लगाता है और अनुच्छेद 24 के अनुसार चौरह वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या फिर खदान में काम करने के लिए और न ही किसी अन्य ख़तरनाक काम के लिए नियुक्त किया जाएगा। क़ानून के मुताबिक चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन निषिद्ध किया गया है जबकि धारा 45 के अंतर्गत देश के सभी राज्यों को चौदह साल से कम आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना अनिवार्य किया गया है फिर भी इतने कड़े कानूनों के होने के बावजूद होटलों और दुकानों में बच्चों से दिन-रात काम कराया जाता है। भारत में बालश्रम व्यापक स्तर पर है। यहां बाल मज़दूरी के लिए बच्चों की तस्करी भी की जाती है।

देश के चहुंमुखी विकास में बच्चों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। यही वे महत्वपूर्ण धरोहर है, जो एक देश का भविष्य तय करते हैं इसलिए प्राथमिक रूप से किसी भी देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होना चाहिए कि वह उन्हें शारीरिक और मानसिक स्तर पर विकास करने का समुचित अवसर उपलब्ध कराए। समाज का प्रयत्न होना चाहिए कि वह ऐसा वातावरण बनाए, जो बच्चों की शिक्षा, विकास और प्रगति की संभावनाओं से भरपूर हो। उन्हें उनकी विकास की अवस्था के दौरान ऐसी शारीरिक और मानसिक कठिनाईयों से बचाया जाना चाहिए, जो उनके प्राकृतिक विकास में बाधा पहुंचाने तथा भविष्य को अंधकारमय बनाने का कारण बनती हो। भारत में बालश्रम की समस्या व्यापक रूप ग्रहण किए हुए है। पिछले सात दशकों में अनेक योजनाओं, कल्याणकारी कार्यक्रमों, विधि निर्माण तथा प्रशासनिक प्रयासों के बावजूद देश की बाल जनसंख्या का एक बड़ा भगा दुख और कष्ट भोग रहा है। देश में अधिकांश परिवारों में माता-पिता द्वारा उपेक्षा, संरक्षकों द्वारा मारपीठ तथा मालिकों द्वारा लैंगिक दुर्व्यव्हार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। फिर भी हैरानी है कि इसे गंभीर समस्या नहीं माना जाता है।

बाल मज़दूरी देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। किसी भी देश के बच्चे उस देश का आने वाला भविष्य होते हैं और अगर उन्हीं बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, तो वे देश के भविष्य का निर्माण कैसे कर सकेंगे। इसलिए समाज को जागरुक होकर इसे रोकने के लिए और सख़्त क़दम उठाने की आवश्यकता है। यह न सिर्फ उन ग़रीब मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, बलिक उनके मानवाधिकारों का भी हनन है। इसके लिए सरकारों को कुछ व्यावहारिक क़दम उठाने होंगे। आम जनता की भी इसमें सहभागिता ज़रूरी है। हर व्यक्ति जो आर्थिक रूप से सक्षम है, अगर ऐसे एक बच्चे की भी ज़िम्मेदारी लेने लगे, तो सारा परिदृश्य ही बदल जाएगा।

बाल मज़दूरी देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। किसी भी देश के बच्चे उस देश का आने वाला भविष्य होते हैं और अगर उन्हीं बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, तो वे देश के भविष्य का निर्माण कैसे कर सकेंगे। इसलिए समाज को जागरुक होकर इसे रोकने के लिए और सख़्त क़दम उठाने की आवश्यकता है। यह न सिर्फ उन ग़रीब मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, बलिक उनके मानवाधिकारों का भी हनन है। इसके लिए सरकारों को कुछ व्यावहारिक क़दम उठाने होंगे। आम जनता की भी इसमें सहभागिता ज़रूरी है। हर व्यक्ति जो आर्थिक रूप से सक्षम है, अगर ऐसे एक बच्चे की भी ज़िम्मेदारी लेने लगे, तो सारा परिदृश्य ही बदल जाएगा। बहरहाल, बालश्रम पर अंकुश लगाने के लिए कई संगठन, आईएलओ आदि प्रयास कर रहे हैं। 2025 तक बालश्रम को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इससे बेहतरी की उम्मीद स्वाभाविक है।□□

ख़ास ख़बरें

जापान में आपदा के बाच बचाव अभियान

टोक्यो : शिज़ुओका के अतामी में भारी बारिश के कारण भूस्खलन के बाद राहत और बचाव अभियान में सेना के करीब 1000 से अधिक जवान, दमकलकर्मी और पुलिसकर्मी जुटे हैं। भूस्खलन के बाद गाद के तेज़ प्रवाह में मकानों और कारों के बहने के कारण कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और तरीबन 20 लोग लापता बताए गए। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने बताया कि अतामी में 19 लोगों को बचाया गया और 130 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं।

ट्रम्प की सेव अमेरिका रैली फ्लोरिडा से आरंभ

वाशिंगटनः अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी दूसरी 'सेव अमेरिका' रैली की फ्लोरिडा के सारासोटा से शुरू की। पूरे दिन चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य ट्रम्प के अभियान मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (एमएजीए) का समर्थन करना और ट्रम्प प्रशासन की उपलब्धियों को प्रचारित करना है।

चीन की सियासत में महिलाओं का वजूद नहीं

बीजिंग : चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी की स्थापना को भले ही 100 वर्ष पूरे हो लेकिन वहां आज भी राजनीति में महिलाएं अपना वजूद तलाश रही हैं। सुपचाइना की एसोसिएट एडिटर जियायुन फेंग के मुताबिक, चीन में बड़े पैमाने पर आर्थिक और सामाजिक बदलाव आया है। बीती एक सदी में काफी विकास हुआ है लेकिन देश की राजनीति में पुरुष ही हावी रहे हैं। सीपीसी के शताब्दी समारोह के अवसर पर एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल ने चीनी राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की मौजूदा स्थिति को लेकर एक सर्वे किया था, इसमें पता लगा कि लगभग 9.2 करोड़ सदस्यों में से सिर्फ 2.8 करोड़ ही महिलाएं हैं यानि पार्टी में उनकी मौजूदगी 30 प्रतिशत से भी कम है। हैरानी की बात यह है कि देश के शीर्ष उच्च राजनीतिक सलाहकार में सिर्फ पांच महिलाएं शामिल हैं।

आगे बढ़ता तालिबान

अफ़ग़ानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी तय हो जाने के बाद से वहां तालिबान का कब्ज़ा जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, वह चिंताजनक है। ख़बर है कि अफ़ग़ानिस्तान के कुल 421 में से एक तिहाई से ज़्यादा ज़िलों पर उनका कब्ज़ा हो चुका है। वे तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अफ़ग़ान सेना के जवान तालिबान लड़ाकों का ढंग से सामना भी नहीं कर पा रहे। पिछले दिनों में जिन दस जिलों पर तालिबान का कब्ज़ा बढ़ रहा है, उनमें से आठ में कोई लड़ाई नहीं हुई।

मज़हबे इस्लाम की आमद के बाद औरत को इंसानियत में ऊंचा मक़ाम और दर्जा मिला

मज़हबे इस्लाम की शुक्रगुज़ार है ''औरत''! जिसकी आमद के बाद औरत को इंसानियत में बुलंद हासिल हुआ है।

फारसी न जानने वाले भी फिरदौसी के नाम से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं अपनी मशहूर तख़लीक़ 'शाहनामा'' के एक शेअर में कहता है जिसका मफहूम है कि 'औरत अजगर के बराबर रखी गई है।'' है न कितनी अजीब बात।

एक कहावत है कि ''क़ब्र सब से बेहतर दामाद है'' ज़ाहिर है यह दौरे जाहिलियत के किसी शायर ने कहा होगा यानि किसी के घर लड़की पैदा होना शर्म व एतराज़ की बात है जिसे कम उम्र में ही बल्कि पैदा होते ही ज़िन्दा दफ़न कर देना चाहिए

खुद खुदाए क़ुदुस क़ुरआने पाक में फरमाता है, ''उनमें से किसी को लड़की की पैदाइश की ख़बर सुनाई जाती तो ग़म व गुस्से की ज़्यादाती से उसका चेहरा काला पड़ जाता।''

औरत मज़हबे इस्लाम की शुक्रगुज़ार है जिसकी आमद के बाद औरत को इंसानियत में ऊंचा मक़ाम और दर्जा मिला। लड़की को ज़िन्दा दफ़न करना गुनाहे अज़ीम ठहरा। उसकी तालीम और ख़ूबियों को कारआमद बताया गया। वर्ना इस्लाम से पहले फरिश्तों और जिन्नों को ख़ुदा की बेटियां कहा जाता, यदि यानि ख़ुदा मुज़क्कर और बुत फरिश्ते मुअन्नस पुकारे जाते।

यही हाल बहुत से एशियाई मुल्कों के लोगों का भी है ख़ास तौर से हिन्दुस्तान व पाकिस्तान के जाहिल और क़दामत पसंद ज़मीनदार तबक़े में लड़की पैदा बेइज़्ज़ती की बात समझी जाती जबकि बेटा बजाए खुद इज़्ज़त और वक़ार और दूसरे औसाफ़ का निशान समझा जाता है। लड़की को पहले बाप और फिर शौहर के यहां एक तरह से गुलाम बनाकर रखा जाता है। इल्म से नावाकिफ़ लोगों के ज़रिए कभी-कभी जायदाद के बंटवारे के डर से उसे शादी से भी महरूम रखा जाता है जैसे यह बाप की बेइज़्ज़ती का बाइस ठहरी।

औरत मज़हबे इस्लाम की शुक्रगुज़ार है जिसकी आमद के बाद औरत को इंसानियत में ऊंचा मक़ाम और दर्जा मिला। लड़की को ज़िन्दा दफ़न करना गुनाहे अज़ीम ठहरा। उसकी तालीम और ख़ूबियों को कारआमद बताया गया। वर्ना इस्लाम से पहले फरिश्तों और जिन्नों को खुदा की बेटियां कहा जाता, यदि यानि खुदा मुज़क्कर और बुत फरिश्ते मुअन्नस पुकारे जाते।

लड़कियों की जानिब नफ़रत एक अहम नुक्ता है। डॉ. आएशा अब्दुर्रहमान बिन्ते अशाती ने क़ुरआन के हवाले से तवज्जोह दिलाई है कि लड़कियों के तईं नफ़रत और नापसंदीदगी के रवैये की जड़ दरअसल इक़्तिसादी मसला है उसे नादारी और ग़रीबी के ख़ौफ़ से भी नापसंद किया जाता।

दूसरी वजह यह है कि क़बाईली तरीक़ए ज़िन्दगी का सख़्त हादसों और जंगों से घिरा होता, क़बीलों के बीच मुक़ाबले होते, उस समाज में समाजी, इक़्तिसादी, दिफ़ाई हर ऐतबार से खानदान या क़बीले की लाज़मी ज़रूरत ठहरता। बेटा रोटी का इंतज़ाम करता, बेटी खाती, यही वजह है कि जिन्स का इख़्तिलाफ़ तबक़ाती इख़्तिलाफ़ में बदल जाता।''

मर्द मालिक और हाकिम तबक़ा, औरत महकूम तबक़ा बन जाती औरत व मर्द आक़ा व गुलाम या हाकिम व महकूम बन जाते उनकी इक़्तिसादी क़दरें भी अलग होतीं।

लड़की की तरफ से डर रहता कि किसी ऐसे शख़्स से शादी न कर ले जो नसली या इक़्तिसादी तौर पर बाप से कमतर हो। गोया यह अख़्लाक़ी मसला इक़्तिसादी मसले से पैदा हुआ होगा।

बाप का तर्का बड़े बेटे को मिलता। हर चीज़ यहां तक कि औरतें जो बाप के इस्तेमाल में शामिल थीं उनको भी बंटवारे के डर से उनको इस विरासत से महरूम रखा जाता। आज भी बहुत से घरानों में यह रस्म जारी है कि लड़की का रिश्ता ख़ानदान से बाहर नहीं करते कि जायदाद का बंटवारा न हो जाए। दूसरे घर न चली जाए चाहे रिश्ता मुनासिब हो या न हो।

मज़हबों की तारीख़ के नए और पुराने मुवर्रिख़ और रिसर्च स्कॉलर लड़कियों को ज़िन्दा दफन करने के बारे में मुख़्तलिफ वजहें पेश करते हैं। अख़्लाक़ी और इक़्तिसादी मसले के अलावा बेटी की बली की रस्म क़दीम मज़हबों में देवताओं की भेंट से भी तअल्लुक़ रखती है जबकि क़ुरआन ने खुले और वाज़ेह अंदाज़ में बताया है कि यह अपनी बेटियों को तंगदस्ती के डर से क़त्ल कर देते हैं। गोया दूसरी तमाम बातों को वजह और जवाज़ बनाने वालों को निशानदेही की गई है और ऐसे मकरूह चेहरों को नंगा किया गया है। कहा है कि ''अपनी औलाद को ग़रीबी के ख़ौफ़ से क़त्ल न किया करो हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं और उन्हें भी रिज़्क़ अता करते हैं।''

अरब में औलादे नरीना से महरूम शख़्स को 'अबतर' कहा जाता। अबतर के मानी जिसकी नस्ल ख़त्म हो गई हो। जब अरबों ने कहा कि रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अबतर हैं तो अल्लाह तआला ने अपने प्यारे नबी को कौसर यानि ज़ुर्रियत और औलाद की बार बार बशारत दी। आप (सल्ल०) ने अपनी सबसे छोटी बेटी फातिमा को ''खातूने जन्नत'' करार दिया और औरतों के लिए मिसाल ठहराया। आप चौथी बेटी थीं जिनके बाद दो बेटे हज़रत कासिम और अब्दुल्लाह पैदा हुए लेकिन यह ख़ुशी अर्ज़ी साबित हुई उन बेटों का इंतेक़ाल हो गया और बाकी तीन बेटियां भी हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की ज़िन्दगी में ही वफात पा गईं। एक बेटी तमाम इफ़्तिख़ारात की अकेली वारिस ठहरी। हज़रत फातिमा भी रसूल सल्ल० वे बेहद मुहब्बत करती थीं बहुत सी तारीख़ी किताबों से पता चलता है कि बीबी फातिमा के चेहरे और दोनों हाथों को हुज़ूर सल्ल० बोसा दिया करते थे। यह मुहब्बत का बर्ताव एक इन्क़लाब नहीं तो और क्या था। आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने अपने इरशादाते आलिया से औरत का मुक़ाम बुलंद कर दिया।

अरब में औलादे नरीना से महरूम शख़्स को 'अबतर' कहा जाता। अबतर के मानी जिसकी नस्ल ख़त्म हो गई हो। जब अरबों ने कहा कि रसूल सल्ल. अबतर हैं तो अल्लाह तआला ने अपने प्यारे नबी को कौसर यानि ज़ुर्रियत और औलाद की बार बार बशारत दी। आप ने अपनी सबसे छोटी बेटी फातिमा को ''खातूने जन्नत'' करार दिया और औरतों के लिए मिसाल ठहराया।

बेटी से यह रवैया तमाम ज़मानों में इंसानों को सबक़ देने के लिए काफी है कि वह बेटियों से एहतराम और इज़्ज़त का रवैया अपनाएं। दुनिया के किसी मज़हब और निज़ाम ने औरत को वह हुक़ूक़ और दर्जा नहीं दिया जो इस्लाम ने अता किया। ◻◻

नूरे क़ुरआन

(सूरा अल बलद नं० 90)

अनुवाद और व्याख्या : शैख़ुल हिन्द र.अ.

चेतावनी : कुछ ने इस आयत का अर्थ रहने के लिए है, अर्थात् मैं शहर की क़सम खाता हूं जिसमें आप पैदा किये गये और आपने निवास किया।

और क़सम बाप की और संतान की।

अर्थात् आदम और आदम की औलाद।

कि हमने इंसान को बड़े कष्ट में पैदा किया है।

अर्थात् मनुष्य प्रारंभ से अंत तक परिश्रम और कष्टों में फंसा हुआ है और भिन्न-भिन्न प्रकार की सख़्तियां झेलता रहता है, कभी बीमारी में फंसता है, कभी रंज में, कभी चिंता में। संभवतः उम्रभर में कोई क्षण ऐसा आता हो, जब कोई व्यक्ति हर प्रकार के झंझटों और मेहनत व तकलीफ से आज़ाद होकर बिल्कुल निश्चिंत ज़िन्दगी गुज़ारे। वास्तव में इंसान की पैदायशी बनावट ही ऐसी हुई है कि वह इन सख़्तियों और बखेड़ों से छुटकारा नहीं पा सकता। आदम और आदम की औलाद के हालात का प्रदर्शन इसकी खुली दलील है और मक्का जैसे पथरीले देश की ज़िन्दगी विशेषतः उस समय जब वहां सबसे ऊँचे ह० मुहम्मद सल्ल० अत्याचारियों के हाथों बड़े-बड़े अत्याचार सह रहे थे, इस आयत की गवाही है।

क्या वह यह विचार रखता है कि उस पर किसी का वश न चलेगा।

अर्थात् इंसान जिन सख़्तियों और मेहनत व परिश्रम की राहों से गुज़रता है इसका परिणाम तो यह होना चाहिए था कि उसमें विनम्रता उत्पन्न होती और अपने को अल्लाह की आज्ञा के आधीन करके अल्लाह की आज्ञा पालन करने वाला और अल्लाह की खुशी को मानने वाला होता और हर समय अपने को अल्लाह का मोहताज समझता, लेकिन इंसान की हालत यह है कि भूल में पड़ा है, तो क्या वह समझता है कि कोई हस्ती ऐसी नहीं जो इस पर अधिकार प्राप्त कर सके और उद्दण्डता की सज़ा दे सके।

कहता है कि मैंने ढेरों माल ख़र्च कर डाला।

अर्थात् रसूल की शत्रुता, इस्लाम का विरोध और अल्लाह की अवज्ञकारिता के अवसरों पर यूँ ही बेतुकेपन से माल ख़र्च करने को हुनर समझता है। इसके पश्चात् उसे बढ़ा-चढ़ाकर घमंड से कहता है कि मैं इतना अधिक ख़र्च कर चुका हूं। क्या इसके पश्चात् भी कोई मेरे मुक़ाबले में सफल हो सकता है, लेकिन आगे चलकर पता लगेगा कि सब ख़र्च किया हुआ माल यूं ही बर्बाद गया, बल्कि उल्टा वबाल हुआ (वर्तमान सामाजिक जीवन में लोग विवाह-शादियों और ग़मों व खुशियों में अथाह धन दौलत समाज के रीति रिवाज़ों में फंसकर और कभी अपने धन-दौलत के नशे में दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ख़र्च करते हैं। यह सब अल्लाह के दिये हुए धन का अपव्यय है, जिसका हिसाब-किताब क़यामत में देना होगा।

क्या वह यह विचार करता है कि उसको किसी ने देखा नहीं।

अर्थात् अल्लाह सब देख रहा है, जितना माल जिस समय जिस नियत से ख़र्च किया है झूठी शेख़ी बघारने से कुछ लाभ नहीं।

क्या हमने उसको दो आंखें नहीं दी।

अर्थात् जिसने देखने को आंख दी, क्या वह स्वयं देखता न होगा। वास्तव में जो सबको आंखों की रोशनी देता है वह सबसे बढ़कर देखने वाला होना चाहिए।

सामान का ख़ौफ़

एक बार हज़रत सलमान फारसी रज़ि० बीमार थे तो हज़रत सअद रज़ियल्लाहु अन्हु अयादत के लिए तशरीफ लाए। उनको देखकर हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हे रोने लगे। मालूम किया ''क्यों रो रहे हो? आप से तो आख़िरी वक्त तक रसूले अकरम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम खुश रहे हैं।'' हज़रत सअद रज़ियल्लाहु अन्हु ये समझे कि शायद मौत के डर से रो रहे हैं। उन्होंने फरमाया ''मैं मौत के ख़ौफ़ या दुनिया के लालच की वजह से रो रहा है से नहीं रो रहा हूं बल्कि इस वजह से रो रहा हूं कि आप सल्ल० ने हम सबको मुसाफिर की सी ज़िन्दगी गुजारने का हुक्म दिया और मेरे पास बहुत सामान है। कल हश्र के दिन में आप सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम को क्या मुंह दिखाऊंगा।?'' उनके पास एक टब कपड़े धोने के लिए, एक प्याला और एक लोटा था और उन्हें इतने से माल के होने पर किस क़द्र फिक्र थी। क्या आज के दौर में इस ज़ुहद व तक़वा का शऊर भी मुमकिन है? (माख़ूज़ अज़ ''तंबीहुल ग़ाफ़िलीन)

राजद्रोह क़ानून से मुक्ति मिले तो बेहतर

संशोधन प्रस्ताव के दौरान संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने इस क़ानून को आपत्तिजनक बताया था

राजेश चौधरी

राजद्रोह क़ानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल में फैसला दिया है कि सरकार की आलोचना राजद्रोह नहीं है। आलोचना से हिंसा फैल जाए या हिंसा फैलाने की कोशिश हो, तभी राजद्रोह का मामला बनेगा। एक अन्य मामले में राजद्रोह से संबंधित क़ानून के परीक्षण का भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। आने वाले दिनों में इसे लेकर बड़ी बहस देखने को मिल सकती है। वैसे आज़ादी के बाद संविधान सभा की बैठक में सबसे पहले राजद्रोह को संविधान से बाहर करने को लेकर ही बहस देखने को मिल सकती है। वैसे आज़ादी के बाद संविधान सभा की बैठक में सबसे पहले राजद्रोह को संविधान से बाहर करने को लेकर ही बहस हुई थी। राजद्रोह अपराध है लेकिन इस शब्द को संविधान में जगह नहीं दी गई।

आईपीसी की धारा-124-ए में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। इसके मुताबिक कोई शख़्स बोलकर या लिखकर या किसी संकेत से या फिर अन्य तरीक़े से क़ानून के तहत बनी सरकार के ख़िलाफ़ विद्रोह या असंतोष ज़ाहिर करता है या ऐसी कोशिश करता है तो दोषी पाए जाने पर उसे उम्रक़ैद तक की सज़ा हो सकती है। भारतीय दण्ड संहिता जब बनाई गई थी, तब उसके ड्राफ्ट में राजद्रोह शब्द था। लेकिन 1860 में जब आईपीसी लागू हुआ तो यह शब्द ड्रॉप कर दिया गया। बाद में ब्रिटिश राज में 1870 में इसे लाया गया। ब्रिटिश सरकार ने अपने शासन काल में भारतीयों की अभिव्यक्ति और असहमति को दबाने के लिए यह प्रावधान किया था। आज़ादी के बाद आईपीसी की धारा-124-ए (राजद्रोह क़ानून) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, तब सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ सिंह से संबंधित वाद में 1962 में राजद्रोह क़ानून को बरक़रार रखा।

आज़ादी से पहले अंग्रेज़ी हुकूमत का मक़सद था कि असहमति रखने वाले लोगों का क़ानून के ज़रिये दमन किया जाए। इसके कई उदाहरण मिलते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा योद्धा शिवाजी का उदाहरण देकर अंग्रेज़ी शासन को हटाने की ज़रूरत बताते हुए लेख लिखा था और उन पर राजद्रोह का मुक़दमा चला। इसी तरह रामचन्द्र नारायण, ऐनी बेसेंट, मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी आदि स्वतंत्रता सेनानियों पर राजद्रोह का केस चला था।

आज़ादी के बाद संविधान सभा की बैठक में संविधान के ड्राफ्ट से राजद्रोह शब्द को हटाने की ज़ोरदार वकालत के.एम. मुंशी और कुछ अन्य सदस्यों ने की थी। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्ञानंत सिंह बताते हैं कि एक दिसंबर 1948 को संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी और उस पर वाजिब रोक को लेकर बहस चल रही थी। वाजिब रोक से मानहानि, अदालत की अवमानना, देश की सुरक्षा से संबंधित मामलों और राजद्रोह को भी रखा गया था। इस अनुच्छेद से राजद्रोह को हटाने के लिए शिक्षाविद् के.एम. मुंशी ने संशोधन पेश किया। उन्होंने कहा कि 150 वर्ष पहले ब्रिटेन में रैली करना भी राजद्रोह कहा जाता था। अब हम स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है। सरकार को आलोचना का स्वागत करना चाहिए और सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर को ख़तरा वाले बयान का दायरा तय होना चाहिए। सेठ गोविंद दास ने भी मुंशी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों ने राजद्रोह क़ानून का इस्तेमाल हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को प्रताड़ित करने के लिए किया। भूपेन्द्र सिंह मान सहित अन्य सदस्यों ने भी मुंशी का साथ दिया और यह तय हुआ कि संविधान में राजद्रोह शब्द को जगह नहीं मिलेगी।

विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें संविधान के अनुच्छेद-19(1)ए के तहत मिली हुई है और उसके अपवाद अनुच्छेद-19(2) में बताए गए हैं। इनमें देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े मामलों, नैतिकता, मानहानि, अदालत की अवमानना और पब्लिक ऑर्डर को रखा गया है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के अपवाद में पब्लिक ऑर्डर को जवाहर लाल नेहरू के कार्यकाल में जोड़ा गया था। तब संशोधन प्रस्ताव के दौरान नेहरू ने संसद में कहा था कि जहां तक मेरा प्रश्न है तो मैं मानता हूं कि 124ए (राजद्रोह) बेहद आपत्तिजनक है। आगे चलकर इससे छुटकारा मिलेगा तो बेहतर है

अब सुप्रीम कोर्ट ने 03 जून को दिए गए एक अहम फैसले में कहा है कि सरकार की आलोचना राजद्रोह

बाक़ी पेज 11 पर

मंत्रिमंडल विस्तार में चयन, चुनावी समीकरण को फिट करने की कोशिश

कोरोना महामारी प्रबंधन और आर्थिक मोर्चे पर सवालों का सामना कर रही केन्द्र सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार में बड़ा फेरबदल किया है। इसमें 36 नए चेहरों को शामिल किया गया है जबकि सात वर्तमान राज्यमंत्रियों को पदोन्नत कर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। वहीं आठ नए चेहरों को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। इनमें सर्वानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, वीरेन्द्र कुमार, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपति कुमार पारस, भूपेन्द्र यादव शामिल है।

मंत्रीमंडल विस्तार से पहले रमेश पोखरियाल निरंशक, डॉ. हर्षवर्धन, सदानंद गौड़ा, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, संतोष कुमार गंगवार सहित 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। मौजूदा मंत्रिमंडल में अब कुल सदस्यों की संख्या 78 हो गई है और नियमानुसार अधिकतम संख्या 81 हो सकती है। जिन लोगों का इस्तीफा स्वीकार किया गया है, उनमें छह कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और पांच राज्य मंत्री शामिल हैं।

मंत्रिपरिषद में हुए इस फेरबदल व विस्तार में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश को मिला है। यहां से सात सांसदों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया हालांकि इनमें से किसी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं दिया गया हैं विस्तार में कुल 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्री बनाए गए।

सात राज्यमंत्रियों का क़द बढ़ा। केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में किरेन रिजीजू, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पूरी और मनसुख भाई मांडविया को राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभाव) से पदोन्नत कर कैबिटनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। इनके अलावा जिन राज्यमंत्रियों को पदोन्नत कर सीधे कैबिनेट मंत्री बनाया गया उनमें पुरुषोत्तम रूपाला, जी किशन रेड्डी और अनुराग सिंह ठाकुर शामिल हैं।

मंत्रिमंडल विस्तार में बड़े नाम बाहर हो गए जिनमें हर्षवर्धन, रविशंकर, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक और सदानंद गौड़ सहित 11 मंत्रियों को हटाया गया।

सहयोगी दलों में से जदयू से आसीपी सिंह, लोजपा से पशुपति पारस और अपना दल से अनुप्रिया को मिली है सरकार में जगह। नरेन्द्र तोमर, गिरिराज, धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी समेत कई मंत्रियों के विभागों में बदलाव किया गया है।

अब तक 53 मंत्री थे, विस्तार के बाद अब यह संख्या 78 हो गई है अभी भी 3 पद रिक्त हैं। कैबिनेट में अब 25 राज्य व केन्द्र शासित राज्यों को प्रतिनिधित्व, नए चेहरों में पंजाब से कोई नाम चयन में आ पाया।

महामारी और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर घिरी केन्द्र सरकार की छवि बदलने की क़वायद, और अगले वर्ष होने वाले 5 राज्यों के चुनावों को देखते हुए यह फेरबदल चुनावी बिसात के रूप में भी देखा जा सकता है।

कोरोना : दूसरी लहर में 21 से 40 वर्ष के लोग हुए सबसे अधिक प्रभावित

सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना की दूसरी लहर में न केवल संक्रमण बेहद तेज़ी से फैला बल्कि संक्रमण की चपेट में आकर काफी लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। कोरोना की पहली और दूसरी लहर की तुलना करते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक हैरान करने वाली रिपोर्ट जारी की है। मंत्रालय के आंकड़ों से यह प्रतीत होता है कि पहली और दूसरी लहर का प्रभाव संक्रमण के लिहाज़ से एक जैसा ही साबित हुआ है। फिलहाल मंत्रालय द्वारा जारी संबंधित आंकड़ा विशेषज्ञों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है।

पहली और दूसरी लहर के प्रभाव को समान बताती हुई मंत्रालय की रिपोर्ट यह भी कहती है कि कोरोना की दूसरी लहर में सबसे अधिक 21 से 40 वर्ष के लोग हुए। जबकि, संक्रमण का असर 41 से 50 वर्ष के लोगों पर भी हुआ। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भारत में कोरोना की पहली वेव और दूसरी वेव में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, मंत्रालय की ओर से जारी किए गए दोनों वेव में आयु वर्ग में संक्रमण के आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष और इस वर्ष लगभग संक्रमण एक जैसा ही रहा है।

आंकड़ों में दोनों लहरों के दौरान संक्रमण (% में)

01 जुलाई से 31 दिसंबर 2020 के बीच विभिन्न आयु वर्ग में संक्रमण

01 से 10 वर्ष	3.28
11 से 20 वर्ष	8.03
21 से 30 वर्ष	21.21
31 से 40 वर्ष	21.23
41 से 50 वर्ष	17.03
51 से 60 वर्ष	15.06
61 से 70 वर्ष	9.14
71 से 80 वर्ष	3.70
81 से 90 वर्ष	0.94
90 वर्ष से ज़्यादा	0.11

विशेषज्ञों में हैरानी इसलिए भी है कि क्योंकि देश में कोरोना की पहली वेव के मुक़ाबले दूसरी वेव में ज़्यादा मामले सामने आए। प्रत्येक दिन सामने आने वाले मामले बीते दिनों के मुकाबले अधिक संख्या में सामने आ रहे थे, जबकि मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा था लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में संक्रमण प्रत्येक आयु वर्ग में एक जैसा था और दोनों में एक जैसा पैटर्न था। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के मुताबिक, दोनों वेव में समानता है। जिस तरह पिछली वेव में संक्रमण 21 से 30 वर्ष और 31 से 40 साल के आयु वर्ग में देखा गया दूसरी लहर में भी लगभग वैसी ही स्थिति सामने आई है। इसी तरह बच्चों के विभिन्न आयु वर्ग में भी संक्रमण का प्रभाव पहले जैसा ही सामने आया है।

ओलिंपिक तो जापान करके मानेगा

वर्ष 2018 की बात है। नीरज चोपड़ा एशियाड में गोल्ड जीतकर स्वदेश लौटे थे और चर्चा तोक्यो ओलंपिक्स में उनकी उम्मीदों को लेकर होने लगी थी। एक इवेंट के दौरान हुई मुलाक़ात में ओलंपिक्स की तैयारियों पर मेरे प्रश्न के जवाब भी उन्होंने कहा 'तैयारी जितनी भी कर लूं, लेकिन हमेशा थोड़ी और करने की ललक बनी रहती है। ओलिपिक्स करीब आते जा रहे हैं और अपनी तैयारियों को लेकर मुझे लगता है कि थोड़ा और वक़्त मिल जाए तो मैं और बेहतर दे सकूंगा।' कुछ समय गुज़रा और फिर हालात ऐसे बने कि ओलिपिक्स एक वर्ष के लिए टल गए। यानि नीरज को तैयारियों का थोड़ा और समय मिल गया।

आज नीरज विश्व रैंकिंग्स में तीसरे नंबर के जैवालिन थ्रोअर हैं। भारतीयों को लग रहा है कि एथलेक्टिस में भारत के लिए पहला पदक लाने का करिश्मा नीरज टोक्यो में कर दिखाएंगे। भारतवासियों के बीच ही नहीं, दुनियाभर में इसकी चर्चा है। एथलेक्टिस पर आधारित अमेरिका की मशहूर मैगज़ीन 'ट्रैक ऐंड फील्ड' ने तो नीरज के खाते में सिल्वर मेडल आने की भविष्यवाणी की है लेकिन क्या यह भविष्यवाणी सच हो पाएंगी?

प्रश्न नीरज की क़ाबिलियत का नहीं है, प्रश्न टोक्यो ओलंपिक्स के आयोजन का है। इसकी उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। पचास से भी कम दिन बचे हैं, लेकिन आयोजन को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। जापान में कोरोना वायरस के मामले अभी भी आ रहे हैं और सरकार दबे स्वर में जबकि जनता खुलेतौर पर खेलों के इस महाकुंभ के आयोजन का विरोध कर रही है। वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इन खेलों को हर तरह से सुरक्षित बताते हुए इसके सफल आयोजन का दावा अभी से ठोक रही है।

इस कोरोना काल में दुनियाभर के दस हज़ार से भी अधिक एथलीटों का एक जगह पर इकट्ठा होना एक नज़रिए से चिंता का विषय हो सकता है। जापान और जापानी अगर इन खेलों के आयोजन को लेकर परेशान हैं तो इस पर विचार ज़रूर किया जाना चाहिए। करीब हज़ार डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री योशिदे सुगा को खुला पत्र लिख कर इन खेलों के आयोजन को रद्द करने की मांग की है। एक सर्वे में 70-80 प्रतिशत जापानी जनता ने ओलंपिक्स के आयोजन का विरोध किया है।

फिलहाल तोक्यो में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू है और सरकार ने वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज़ कर दी है लेकिन अभी तक केवल तीन प्रतिशत जनता ही वैक्सीन के दोनों डोज़ ले सकी है और खेलों की शुरुआत से पहले तोक्यो शहर की पूरी आबादी का वैक्सीनेशन मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। यानि हालात जापानी सरकार के पक्ष में नहीं है। बावजूद इसके सरकार लोगों की भावनाओं के साथ न जुड़ते हुए इन खेलों को रद्द किए जाने को लेकर कोई साफ बयान या प्रतिक्रिया नहीं दे रही है।

जापान ने इन खेलों के आयोजन की तैयारियों पर अरबों रुपये ख़र्च किए हैं और इन्हें ही आयोजन रद्द नहीं किए जाने की प्रमुख वजह बताई जा रही है। जब वर्ष 2013 में जापान को इन खेलों के आयोजन का अधिकार मिला, तब इस खेल महाकुंभ के आयोजन के लिए करीब 734 बिलियन येन के ख़र्च का अनुमान लगाया था लेकिन गुज़रते समय के साथ ख़र्चे बढ़ते गए और यह राशि 1.65 ट्रिलियन येन तक जा पहुंची। इस बजट ने इसे सबसे महंगा ओलंपिक्स आयोजन बना दिया। अब अगर इन खेलों को रद्द किया जाएगा तो अनुमान लगाया गया है कि जापान को अतिरिक्त 300 बिलियन येन का नुक़सान होगा। लेकिन जापान का इन खेलों के आयोजन से सीधे पीछे न हटने की वजह शायद पैसे नहीं है। कारण वह कांट्रैक्ट है, वह समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स समिति और लोकल आयोजन समिति के बीच होता है। कांट्रैक्ट के अनुसार ये खेल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स संघ की ख़ास संपत्ति है और इन्हें रद्द करने का अधिकार सिर्फ उसके पास ही है, ओलंपिक्स चार्टर में हालांकि खिलाड़ियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को सर्वोपरि रखने की बात भी है, इसके बावजूद आईओसी इन खेलों को किसी भी हाल में करवाना चाहता है।

खिलाड़ियों की स्वास्थ्य-सुरक्षा को लेकर नए दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। खेल गांव और आस पास बायोबल तैयार किया जा रहा है। खेल आयोजन से जुड़ने वाले हर शख़्स के वैक्सीनेशन पर ज़ोर दिया जा रहा है। हर खिलाड़ी को नियमों वाली प्लेबुक थमाई जाएगी और उन्हें उनकी इवेंट ख़त्म होने पर गेम्स विलेज में ठहरने की इजाज़त भी नहीं होगी। खिलाड़ी पब्लिक परिवहन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और न ही उन्हें बार, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल या फिर किसी टूरिस्ट प्लेस जाने की अनुमति होगी। और रही बात टैस्ट की तो वह हर दिन होगा। यानि आईओसी खिलाड़ियों पर बंदिशें लगाकर उन्हें सुरक्षित रखने का दावा कर रहा है।

दूसरी ओर सेलानियों, स्टेडियम में दर्शकों पर रोक जैसे कई कारणों से इन खेलों का आयोजन होने की स्थिति में भी जापान नुकसान से बच पाएगा। लेकिन हां, आईओसी की

बाक़ी पेज 11 पर

ओसाका ने जो किया, विराट करें तो... विमल कुमार

दुनिया की नंबर दो महिला टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने एक ऐसा फैसला लिया, जिससे हलचल मच गई। जापान की इस प्लेयर ने एक बेहद अहम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के दौरान नियमित प्रेस कांफ्रेंस करने में असमर्थता जता दी। इसके चलते उनपर 15 हज़ार डॉलर का जुर्माना भी लगा। पलटकर नाओमी ने टूर्नामेंट से ही नाम वापस ले लिया। दरअसल, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के नियमों के मुताबिक, मैच के बाद अगर कोई खिलाड़ी प्रेस कांफ्रेंस में मीडिया से बातचीत करने से इंकार करे तो उस पर 20 हजार अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

चार ग्रैंड स्लैम आयोजनकर्ताओं ने एक संयुक्त बयान में चेतावनी जारी की है कि ओसाका को काफी जुर्माना और भविष्य के ग्रैंड स्लैम में निलंबन का सामना भी करना पड़ सकता है। ग्रैंड स्लैम नियमों का एक मुख्य तत्य है मीडिया के साथ जुड़ने की खिलाड़ियों की ज़िम्मेदारी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उस खिलाड़ी के मैच का परिणाम क्या है।

ओसाका के इस फैसले ने भारतीय खेल मीडिया को भी सकते में डाल दिया है। विशेषकर क्रिकेट कवरेज से जुड़े धड़े को। कई जानकारों को लग रहा है कि अगर ओसाका जैसा क़दम किसी भारतीय क्रिकेटर ने उठाया तो बीसीसीआई अपपने खिलाड़ी के पक्ष में ही खड़ा होगा। वैसे, इस मुद्दे के भी दो पक्ष है। अगर खिलाड़ियों और बोर्ड को संतुलित नज़रिया अपनाना है, तो मीडिया को भी सोचना होगा कि प्रेस कांफ्रेंस की गरिमा का ध्यान रखा जाए। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी वन टू वन इंटरव्यू नहीं देते थे, जबकि ऐसा फैसला सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज़ भी नहीं कर पाए थे।

एम.एस. धोनी की दलील होती थी कि भारत में इतने सारे मीडिया हाउस हैं, इसलिए किसी पत्रकार को अलग से इंटरव्यू देना सही परंपरा नहीं। बेहतर है कि प्रेस कांफ्रेंस में सारे सवालों के जवाब दे दिए जाएं। हालांकि कई मौक़ों पर वह मुझे या कुछ और पत्रकारों को यह कहने से नहीं चूके कि 'यार, हर मैच के पहले और बाद में मीडिया से बात करना बेहद थको सिस्टम है। इससे किसी को क्या फायदा होता है? प्रश्न भी लगभग एक ही जैसे होते हैं और मेरे जवाब में भी बहुत अंतर नहीं होता।'

फिर, गुरुनाथ मय्यपन 2013 में आईपीएल स्पॉट-फिक्सिंग कांड में धोनी को भी विवादों में ले आए, तब से माही प्रेस से उखड़ गए। धोनी ने नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के दिमाग़ में

बाक़ी पेज 11 पर

मानसून के आगमन में भी सेहत रहे दुरुस्त

मानसून के आते ही क्या आपको भी फूड पॉइजनिंग, अपच, सर्दी, फ्लू या त्वचा की एलर्जी आदि से दो-चार होना पड़ता है। जवाब 'हां' में है, तो फिर आपको अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान देने की जरूरत है। जानिए कैसे..?

मौसमी और खट्टे फल खाएं

मानसून! यह वह समय है जब हमें इस बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि इन दिनों हमारी प्रतिरक्षा शक्ति कम हो जाती है। ऐसे में मौसमी फल शरीर में ऊर्जा को बहाल करने में मदद करते हैं और प्रतिरक्षा बनाने में भी मदद करते हैं, क्योंकि ये विटामिन-सी व व फाइबर जैसे पोषक तत्वों का बेहतर स्रोत होते हैं। विटामिन-सी आयरन के अवशोषण में भी मदद करता है। लेकिन मौसमी फल व सब्ज़ियों को ताज़ा खाएं, क्योंकि लंबे समय तक स्टोर करने में इनके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। केला, अनार, आलू बुख़ारा, पपीता, आम, शिमला मिर्च, कीवी, आंवला, संतरा, नीबू, ब्रोकोली, मौसम्बी या जामुन आहार में सबसे अच्छे है।

नमक, थोड़ा कम ही खाएं

बारिश के मौसम में हमेशा कम नमक वाला आहार लेना बेहतर होता है, क्योंकि यह हाई बीपी और वॉटर रिटेंशन को रोकता है इसके अलावा खाने में प्रोटीनयुक्त चीज़ें बढ़ा दें, क्योंकि प्रतिरक्षा बढ़ाने, घाव भरने और मांसपेशियों के निर्माण के लिए प्रोटीन प्रमुख मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तरह-तरह की दालें, दूध, दही, अंडे, चिकन, पनीर सोया, टोफू प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। अपने आहार में दही को भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि यह प्रोबायोटिक है। इसमें अच्छे बैक्टीरिया प्रतिरक्षा को बढ़ाने और संक्रमण से लड़ने में मदद कर सकते हैं।

मसालेदार भोजन से बचें

चूंकि इस समय हमारी प्रतिरक्षा शक्ति कमज़ोर हो जाती है, इसलिए हमारे पाचन तंत्र को भोजन पचाने में मुश्किल होती है। ऐसे में हमें मेथी, लहसुन, काली मिर्च, हल्दी और जीरा जैसे मसालों को भोजन में शामिल करना चाहिए। ये भोजन को पचाने में मदद करते हैं लेकिन कुछ मामलों में ज़्यादा मसालेदार भोजन त्वचा की एलर्जी या अन्य समस्या का कारण बन सकते हैं जैसे कि चकत्ते, खुजली, अपच और सुस्ती आदि। इसलिए आपको जंक फूड या स्ट्रीट फूड, तले-भुने भोजन से बचना चाहिए।

फास्ट फूड को कैसे बनाए सेहतमंद

वसा और मेदा हैं सबसे बड़े दुश्मन

आजकल कोरोना संक्रमण काल है हम अपनी अनेक पुरानी खाने की आदतों से लेकर रहन-सहन, बाहर आने जाने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में फर्क महसूस कर रहे हैं। सेहत के लिहाज़ से यह काल काफी कठिन रहा है। बहुत सोच समझ कर खान-पान करना पड़ रहा है, जिससे हम इस संक्रमण से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बनाए रखे। परंतु एक वर्ग ऐसा भी है जो आज भी फास्ट फूड के प्रति अपने लगाव को छोड़ नहीं पा रहा है। यह लोग फास्ट फूड को आपकी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन बनाते हैं उनमें उपयोग होने वाला तेल, और मैदा। फास्ट फूड को सेहतमंद बनाने के लिए इन दोनों सामग्रियों के इस्तेमाल पर खास नज़र रखने की ज़रूरत है। डाइटीशियंस के अनुसार 'फास्ट फूड के साथ सॉस का उपयोग भारी मात्रा में किया जाता है। सॉस भी सेहत के लिए अच्छा नहीं। पर जो चीज सेहत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, वह है मैदा और तेल। फास्ट फूड बनाते समय आपकी इनकी जगह अन्य सेहतमंद विकल्पों को इस्तेमाल में ला सकते हैं।

- मैदे की जगह आटे का पिज्ज बेस चुनें।
- मैदा नूडल्स की जगह सब्जियां ज़्यादा डालें। इससे टिक्की तेल कम सोखेगा।
- टिक्की को तलने के बाद उसे टिश्यू पेपर पर ज़रूर रखें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए।
- पिज्जा में भी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें।

इसके अलावा और भी आवश्यक उपाय करें।

शेष.... समान सोच वाली पार्टियाँ....

ख़िलाफ़ जनता लड़ रही होगी। अभी हमारा ध्येय इस जनविरोधी सरकार को हटाने पर है। प्रधानमंत्री कौन होगा, यह हम सभी लोग बैठ कर तय कर लेंगे।

प्रश्नः- मोदी के ख़िलाफ़ विपक्ष के किस नेता को आप बेहतर चेहरा मानते हैं?

उत्तरः- शायद भाजपा में नेताओं का अकाल है, विपक्ष में ऐसा नहीं है। देश में एक से बढ़कर एक सुयोग्य, अनुभवी और क़ाबिल नेता हैं वक्त आने पर इसका जवाब मिल जाएगा।

प्रश्नः- अगले वर्ष की शुरुआत में यूपी सहित पांच राज्यों के चुनाव हैं, उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी?

उत्तरः- यूपी समेत जहां भी चुनाव होने हैं, हम कोशिश करेंगे कि भाजपा के जन विरोधी चरित्र को उजागर करें और धार्मिक उन्माद पैदा करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के सामूहिक प्रयास में सहभागी बनें। □□

शेष.... राजद्रोह क़ानून से मुक्ति....

नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1962 के केदारनाथ से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उसके तहत हर पत्रकार संरक्षण का हक़दार है। ऐसे में केदारनाथ जजमेंट को देखने की ज़रूरत है। 1962 में दिए उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर नागरिक को सरकार के कामकाज पर कॉमेंट करने और उसकी आलोचना करने का अधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि आलोचना ऐसी हो, जिसमें शांति व्यवस्था खराब करने या हिंसा फैलाने की कोशिश न हो। अगर कोई ऐसा बयान देता है, जिसमें हिंसा फैलाने और पब्लिक ऑर्डर ख़राब करने की प्रवृत्ति या कोशिश हो तो फिर राजद्रोह का मामला बनेगा। इसी संदर्भ में 1995 का बलवंत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब केस भी अहम है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ख़ालिस्तान ज़िन्दाबाद स्लोगन अपने आप में राजद्रोह नहीं है। कैजुअल तरीक़े से कोई नारेबाज़ी करता है तो वह राजद्रोह नहीं माना जाएगा।

हाल में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें सरकार ने लोगों के ख़िलाफ़ राजद्रोह का केस दर्ज किया है। आरोप लगाया गया कि राजद्रोह केस का ग़लत इस्तेमाल हुआ है। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने दख़ल भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दो तेलुगु चैनलों की ओर से दाख़िल याचिका में उनके ख़िलाफ़ राजद्रोह का केस रद्द करने की गुहार पर सुनवाई के दौरान कहा था कि वह खुद राजद्रोह क़ानून की व्याख्या करेगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि मीडिया का सूचना देने और ख़बर देने का जो अधिकार है, उसके संदर्भ में राजद्रोह क़ानून की व्याख्या की ज़रूरत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट इस क़ानून का नए सिरे से परीक्षण कर व्याख्या करेगा, तब इस बहस पर विराम लग जाएगा। □□

शेष.... ओलिंपिक तो जापान करके मानेगा

जेब ज़रूर भर जाएगी। जापान फिलहाल यहां पैसे के बजाए अपनी प्रतिष्ठा को ज़्यादा महत्व दे रहा है। जापान 1964 में भी ओलंपिक्स की सफल मेज़बानी कर चुका है। द्वितीय विश्वयुद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले इस देश ने तब ओलंपिक्स की मेज़बानी के साथ साबित किया कि वह कितनी मज़बूती के साथ विकास की राह पर लौट आया है।

एक बार फिर जापान कुछ ऐसा ही साबित करना चाहता है। पिछले कुछ समय में जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था में गतिहीनता देखी, उसने सुनामी झेली और फुकोशिमा न्यूक्लियर हादसा भी देखा। अब ये खेल इस बात का संकेत होंगे कि जापान ने एक बार फिर मुश्किलों पर विजय हासिल कर ली है और उगते सूरज का यह देश एक बार फिर दुनिया को विकास की रोशनी से सराबोर करने को तैयार है। □□

शेष.... मंज़र पस-मंज़र

पत्नी और छोटे बच्चों का जीवन दूभर हो गया है। बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए हैं। उनके लिए मुआवज़ा की मामूली रकम् भी बड़ा सहारा साबित होगी। यह भी उजागर तथ्य है कि हर साल लाखों लोग इलाज पर आने वाले ख़र्च की वजह से ग़रीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। कोरोना के इलाज पर भारी भरकम ख़र्च के चलते बहुत सारे लोगों की जमा पूंजी ख़त्म हो गई। उसके बावजूद अगर कमाने वाले सदस्य की जान नहीं बच पाई, तो उस परिवार का भविष्य अंधकारमय हो गया। ऐसे लोगों के लिए मुआवज़ा, कुछ दिन के लिए ही सही, भरण पोषण का सहारा बन सकता है।

मुआवज़े को लेकर न केवल केन्द्र, बल्कि राज्य सरकारों की भी हिचक बनी रही है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों में तैनाती में सैकड़ों कर्मचारी संक्रमित हुए और अपनी जान गंवा बैठे। इस पर वहां के शिक्षक संघ ने मुआवज़े की मांग की थी, मगर राज्य सरकार ने उसे ठुकरा दिया था। इसी तरह बहुत सारे चिकित्साकर्मियों और पुलिस कर्मियों ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि उनके लिए बीमा और विभागीय मदद के प्रावधान हैं, पर मुआवज़े को लेकर वहां भी जटिलाएं हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद हालांकि उन्हीं लोगों को मुआवज़ा मिल सकता है जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र पर मौत का कारण कोरोना दर्ज हैं। बहुत सारे ऐसे ग़रीब गुरबा और दूर-दराज़ के लोग इसके लिए दावा पेश नहीं कर पाएंगे, जिन्होंने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया इसलिए इस मामले में सरकार से बहुत सुसंगत और मानवीय तरीके से दिशा निर्देश तय करने की अपेक्षा की जाती है। □□

शेष.... प्रथम पृष्ठ

है कि 2022 का विधानसभा चुनाव विपक्षी पार्टियां अलग-अलग लड़ेंगी और सबके निशाने पर योगी सरकार होगी, जिस पर कोविड-19 महामारी के दौरान कुप्रबंधन का आरोप है।

परंतु दूसरी ओर योगी जी कहते हैं कि भाजपा उनके मौजूदा कार्यकाल पर ही नहीं, बल्कि अगले 5-10-15 वर्ष के रोड मैप पर काम कर रही है। उनका यह भरोसा उनकी सरकार के समय शुरू की गई परियोजनाओं के कारण है। उनका दावा है कि उनके शासन के पहले चार सालों में उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था 10.90 लाख रुपये से बड़कर 21.73 लाख करोड़ की गई और यह देश में दूसरे नंबर पर है। विपक्ष उनके दावे ख़ारिज करता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कहते हैं ''योगी सरकार होर्डिंग्स के ज़रिए वे उपलब्धियां गिना रही है जो इसने कभी हासिल ही नहीं की। निवेश के दावे सरासर ग़लत हैं, किसान परेशान हैं और इस सरकार के कार्यकाल में कम से कम 850 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। बेरोज़गारी दर दोगुनी हो गई है, छोटे कारोबारी मुश्किल में हैं। यही हक़ीक़त है।'' प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेन्द्र चौधरी भी इन बातों से सहमत हैं। वे कहते हैं कि ''यह पहली सरकार है जो पिछली सरकारों की परियोजनाओं को नया नाम देकर बेशर्मी से उन्हें अपना बता रही है। अलग धर्मों के बीच शदियां रोकने के लिए कानून बनाकर इस सरकार ने सामाजिक ताने ताने को कमज़ोर किया है और संविधान की आत्मा की अनदेखी की है। नफ़रत के एजेंडे को आगे बढ़ाने के सिवाय योगी सरकार ने और कुछ नहीं किया।''

विपक्षी ने उन पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त क़दम न उठाने का आरोप लगाया है। 'हत्याएं' करने के लिए पुलिस को संविधानेतर अधिकार देने पर भी प्रश्न उठाए गए है, उनकी सबसे बड़ी चुनौती कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान आई।

अचानक संक्रमण के बढ़ते मामले स्वास्थ्य सिस्टम पर भारी पड़ने लगे। समस्या तब और गंभीर हो गई जब मेडिकल ऑक्सीजन और जीवनरक्ष दवाओं की कमी होने लगी और लोग मरने लगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार के नेतृत्व में बदलाव की मांग कर डाली। उन्होंने टवीट किया ''गंगा में बहती लाशें सिर्फ लाशें नहीं है, वे किसी के पिता, किसी की मां, किसी के भाई और किसी की बहनें थीं। जो हुआ वह आपको भीतर से हिला देने वाला है। इसकी ज़िम्मेदारी तय होनी चाहिए।' बसपा नेता मायावती ने यूपी सरकार पर कोविड-19 से होने वाली मौत के आंकड़ों में हेराफेरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा 'ग्राीण इलाकों में कोरोना तेजी से फैल रहा है और बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। लोग किसी तरह परिजनों के शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। सरकार को ऐसे परिवारों की मदद करनी चाहिए।'' विपक्ष को लगता है कि मुख्यमंत्री के रूप में योगी के दिन अब थोड़े ही बचे हैं। राजेन्द्र चौधरी कहते हैं 'हाल के पंचायत चुनाव संकेत हैं कि लोग भाजपा से नाराज़ हैं। कोविड के दौरान सरकार की नाकामियों का खामियाज़ा आम लोगों को भुगतना पड़ा। 2022 के चुनाव में वे भाजपा के दावों से बेवकूफ नहीं बनने वाले। अतः यह कहना अतिश्योक्ति न होगा कि हिन्दुत्व के कट्टरपंथी आज योगी में मोदी को देख रहे हैं। अगर योगी यूपी में सफल हो जाते हैं तो केन्द्र में अगर मोदी के उत्तराधिकारी का प्रश्न उठता है तो योगी जी ही उसके मज़बूत दावेदार होंगे। □□

शेष.... ओसाका ने जो किया, विराट करें तो...

यह बात डाल दी कि अगर आप अच्छा खेलोगे तो प्रेस की मजबूरी है तारीफ करना। अगर अच्छा नहीं खेले, तो मीडिया केवल विवादित चीज़ें तलाशेगा। आपको याद है, धोनी पर जो फिलम बनी है, उसमें मीडिया को लेकर कुछ ही सीन हैं और एक सीन में वीरेन्द्र सहवाग के साथ विवाद को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की गई, उससे साफ ज़ाहिर था कि माही भारतीय मीडिया के लिए बहुत सम्मान नहीं रखते।

कई अवसर ऐसे भी होते हैं जब खिलाड़ी खुद इंतज़ार करते हैं मीडिया से बातचीत का, क्योंकि उन्हें कई मुद्दों पर अपनी सफाई देनी होती है। अतीत में हमने देखा है कि किस तरह से रोहित शर्मा और रविचन्द्रन अश्विन समेत कई खिलाड़ियों ने सार्वजनिक मंच पर वैसी बातें कहीं, जिसे वे शायद इंटरव्यू में नहीं कह पाते। प्रेस कांफ्रेंस में रिपोर्टर के किसी भी तरह के प्रश्न पर यह कहने की गुंजाइश नहीं रहती कि किसी खिलाड़ी विशेष ने जानबूझकर कोई खास सवाल सेट कराया है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि क्रिकेटर अब किसी प्रेस कांफ्रेंस में आते हैं, तो 70 प्रतिशत बातें रटी रटाई और एक पैटर्न पर होती हैं। इसके बावजूद इसकी अहमियत है, क्योंकि आप कोई भी प्रश्न खिलाड़ी से पूछ सकते हैं। प्रेस कांफ्रेंस इसलिए भी अहम है, क्योंकि यहां मीडिया हाउस के दबदबे या किसी बड़े रिपोर्टर को प्राथमिकता नहीं दी जाती।

लेकिन, अहम सवाल अब भी यही है कि क्या ओसाका प्रकरण के बाद भारतीय क्रिकेट में भी कुछ बदल सकता है? इसका सीधा जवाब है कि पहले से इसकी नींव रखी जा चुकी है। आप दुनिया की सबसे कामयाबी लीग यानि आईपीएल की प्रेस कांफ्रेंस को देखिए। यहां कोई तय नियम नहीं है कि कप्तान ही हर बार आपको सवालों के जवाब देने आएगा। विदेशी दौरों पर भारतीय मीडिया को हफ्तों तक एक भी खिलाड़ी नहीं मिलता, जब तक कि कोई अहम मैच करीब न आ जाए। बोर्ड और खिलाड़ियों को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के इस दौर में उन्हें प्रेस की क्या ज़रूरत है। जो कहना है, वह अपने सोशल मीडिया एकाउंट और प्रेस रिलीज के ज़रिए कह देंगे। ऐसा करना खिलाड़ियों और बोर्ड के लिए सहज है, लेकिन इस तरह प्रशंसकों के लिए एक अहम रास्ता बंद कर दिया जाता है। जीत के बाद हर खिलाड़ी के सोशल मीडिया एकाउंट पर कुछ न कुछ लिखा मिल जाता है, पर हार के बाद सब शांत रहते हैं। ऐसे में कुछ रिपोर्टर ही हैं, जो इस मुश्किल दौर में संयमित और प्रासंगिक ख़बरें लाकर देते हैं।

वैसे, खिलाड़ी प्रेस को कितना भी नापसंद करें, उन्हें पता है कि मीडिया का एक्सपोजर उनके ब्रैंड को बेहतर करता है। इसका इस्तेमाल अपपने तरीके से करते हैं खिलाड़ी। आपको याद है न, कैसे कोहली ने एक बार नोटबंदी को मास्टरस्ट्रोक बताकर सरकार को खुश किया था। सौरव गांगुली के बारे में कहा जाता है कि जब उन्हें अपनी टीम के साथियों पर किसी तरह का दबाव बनाना होता था, वह कोलकाता के अपने पसंदीदा पत्रकारों को पहले से ही कुछ ख़ास सवाल भेज देते थे। यानि पत्रकार ही नहीं, खिलाड़ियों को भी प्रेस कांफ्रेंस की दरकार होती है। भले ही वे खुलकर इसे स्वीकार न करें। □□

मोदी कैबिनेट में फेरबदल निरर्थक, बीज़ेपी को अपना विजन बदलने की जरूरतः कांग्रेस

मोदी सरकार के बड़े कैबिनेट फेरबदल को कांग्रेस ने निरर्थक बताते हुए आरोप लगाया है कि देश में मुंह बाये खड़े मुद्दे साबित करते हैं कि बीजेपी ठीक से शासन करने में किल रही है और इसके लिए उसे कैबिनेट में बदलाव नहीं, अपने विजन में फेरबदल की जरूरत है। एक बयान में कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा, कैबिनेट में फेरबदल व्यर्थ है, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था, रोजगार, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से असफल है। बीजेपी सरकार को पोर्टफोलियो फेरबदल के बजाय अपने विजन और शासन को रीसेट करने की आवश्यकता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में 2022 के चुनाव से पहले मोदी 2.0 का पहला बड़ा फेरबदल आज शाम को होने वाला है। कैबिनेट विस्तार से पहले वर्तमान कैबिनेट के करीब एक दर्जन मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, जिनमें स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, श्रम मंत्री जे एस गंगवार के नाम प्रमुख हैं।

SHANTI MISSION (HINDI WEEKLY) NEW DELHI Postal Registration No. DL(C)-01/1266/2021-23
Publishing Date : **4 July 2021** Posting Days : **MON. - TUE.** at **N.D.P.S.O.** New Delhi-110002 R.N.I. 57270/93

मंज़र पस-मंज़र **मीम.सीन.जीम**

•डेल्टा वेरिएंट से फिक्र•अभिव्यक्ति की आज़ादी•मुआवज़े का मरहम

डेल्टा वेरिएंट से फिक्र

कोरोना वायरस का जो नया रूप दुनिया भर में डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को चिंतित किए हुए है, वह है डेल्टा वेरिएंट। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) ने इसे वैरिएंट ऑफ कंसर्न यानि वायरस का चिंताजनक रूप कहा है। वैसे तो यह कई देशों में मौजूदगी दर्ज करा चुका है, लेकिन ब्रिटेन तो जैसे इसकी गिरफ्त में आ चुका है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड (पीएचई) के आंकड़ों के मुताबिक, वहां इकट्ठा किए जा रहे सैंपल्स में 61 प्रतिशत मामले डेल्टा वेरिएंट के ही हैं। इसका मतलब यह है कि वहां पिछले वर्ष गदर मचा देने वाले

ग़ौर करने की बात यह है कि मामला डेल्टा वैरिएंट तक ही समित नहीं रहा। इसका और परिकृत रूप भी आ गया है जिसे डेल्टा प्लस कहा जा रहा है। भारत में भी इसके मरीज़ों की संख्या ज़्यादा नहीं है, बावजूद इसके महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने चेताया है कि यही डेल्टा प्लस वैरिएंट कोरोना महामारी की तीसरी लहर का कारण बन सकता है।

अल्फा वैरिएंट से भी ज़्यादा मजबूत स्थिति में डेल्टा वेरिएंट आ गया है। ध्यान रहे किसी वैरिएंट को चिंताजनक श्रेणी में तब डाला जाता है, जब उसकी बढ़ी हुई संक्रामक क्षमता और मरीज़ को अस्पताल ले जाने की बढ़ी हुई ज़रूरत के सबूत उपलब्ध हों। इन दोनों ही मोर्चों पर इसकी मज़बूती इसे न केवल इंग्लैंड जैसे देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के स्तर पर ख़तरनाक बनाती है। ग़ौर करने की बात यह है कि मामला डेल्टा वैरिएंट तक ही समित नहीं रहा। इसका और परिकृत रूप भी आ गया है जिसे डेल्टा प्लस कहा जा रहा है। भारत में भी इसके मरीज़ों की संख्या ज़्यादा नहीं है, बावजूद इसके महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने चेताया है कि यही डेल्टा प्लस वैरिएंट कोरोना महामारी की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। स्वाभाविक रूप से सरकार ने स्वास्थ्य ढांचे को इसके लिए तैयार करने की क़वायद शुरू कर दी है, लेकिन एक तो ऐसी सारी कवायद की आख़िरी परीक्षा लहर आने के बाद ही होती है। तभी यह पता लगता है कि सरकार के निर्देश किस हद तक जमीन पर उतरे और दरअसल उसका कितना फायदा प्रभावित लोगों तक पहुंचाया जा सका। मगर उससे ज़्यादा ज़रूरी है खुद को बार-बार याद दिलाना कि वायरस के ख़िलाफ़ यह जंग लड़ाई तभी जीती जा सकती है, जब एक-एक नागरिक पूरी जागरुकता, सावधानी और शिद्दत से इसमें भागीदारी करे। विशेषज्ञों के मुताबिक अब तक के आबर्ज्वेशन से यह स्पष्ट है कि वैक्सीन इस वैरिएंट पर भी कारगर है। अपने यहां वैक्सिनेशन अभियान में आई थोड़ी सुस्ती इस संदर्भ में चिंता की एक अतिरिक्त बात हो सकती है, लेकिन ताज़ा प्रयासों की बदौलत उम्मीद है कि यह अभियान जल्दी ही ज़ोर पकड़ेगा। ऐसे में आम लोगों का सहयोग दो स्तरों पर निर्णायक साबित हो सकता है। एक तो यह कि टीका लगवाने को लेकर उदासीनता हर हाल में जल्द से जल्द ख़त्म की जाए और दूसरा, अनलॉक के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल के पालन में वैसी लापरवाही बिल्कुल न हो, जैसी पहली लहर के उतार के बाद दिखाई गई थी।

अभिव्यक्ति की आज़ादी

सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि सरकार पर प्रश्न उठाना राजद्रोह नहीं होता। हर पत्रकार को इस मामले में संरक्षण प्राप्त है। देखना है, इसे सरकारें कहां तक समझ पाती हैं। अदालत का ताज़ा फैसला पत्रकार विनोद दुआ को लेकर आया है। ग़ौरतलब है कि विनोद दुआ ने दिल्ली दंगों को लेकर अपने एक यू-टयूब कार्यक्रम में केन्द्र सरकार को कुछ असहज करने वाले प्रश्न उठाए थे। उसे लेकर हिमाचल प्रदेश के एक भाजपा कार्यकर्ता ने उनके ख़िलाफ़ स्थानीय थाने में विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करा दी थी। उस कार्यकर्ता का आरोप था कि दुआ ने अपने कार्यक्रम के ज़रिए लोगों को उपद्रव के लिए उकसाने, प्रधानमंत्री की मानहानि करने, झूठी ख़बरें फैलाने और राजद्रोह का प्रयास किया है। उस प्राथमिकी के ख़िलाफ़ दुआ ने सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई और अदालत ने हिमाचल प्रदेश पुलिस के उनसे किसी तरह के पूरक प्रश्न करने और अगले आदेश तक उनके ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। अब अदालत ने उन्हें दोषमुक्त क़रार दे दिया है, साथ ही टिप्पणी की है कि सरकारों के ख़िलाफ़ असहमति को लेकर पत्रकारों को संरक्षण प्राप्त है।

हालांकि विनोद दुआ का मामला कोई नया या अकेला नहीं है। पत्रकारों के प्रश्नों और टिप्पणियों से सरकारें पहले भी आहत होती और उनके ख़िलाफ़ बदले की भावना से कार्रवाई करने का प्रयास करती देखी जाती रही हैं। ऐसे ही बिहार के एक मामले में 1962 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि सरकार के फैसलों या उसकी ओर से अपनाए गए उपायों से असहमति रखना राजद्रोह नहीं होता। इसके लिए पत्रकारों को संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। मगर अदालतों के दिशा आदेशों को सरकारें भला कहां तक मानती है और याद रखती हैं। उसके बाद भी कई ऐसे मौक़े आए, जब सरकार की आलोचना करने पर पत्रकारों को दंडित करने के प्रयास हुए। मगर पिछले छह-सात सालों में ऐसे प्रयास कुछ अधिक देखे गए हैं। सरकार के विरुद्ध बोलने या लिखने पर कई पत्रकारों के ख़िलाफ़ मुक़दमे दर्ज कराए गए, कई को जेल भी जाना पड़ा। कई पत्रकारों को सीधे दंडित न करके परोक्ष रूप से किया गया। इसे लेकर बहस शुरू हो गई कि राजद्रोह या देशद्रोह के दायरे में कौन सी बातें आती हैं। जिन पत्रकारों को मुख्यधारा मीडिया में जगह मिलनी बंद हो गई, वे सोशल मीडिया मंचों, यू-टयूब चैनलों आदि के माध्यम से अपने बेबाक विचार प्रकट करने लगे। मगर ये मंच भी सरकार को खटकने लगे, तो उन पर लगाम कसने के लिए नया क़ानून बना दिया। अब वह क़ानून भी बहस के केन्द्र में है।

कोई भी देश सही अर्थों में तब तक लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, जब तक वहां के संचार माध्यमों, पत्रकारों को अभिव्यक्ति की आज़ादी हासिल न हो। पत्रकारिता सरकारों को सही दिशा में क़दम उठाने में मददगार साबित होती है। उसकी आलोचनाओं को अगर सरकारें सुनें और समझने का प्रयास करें, तो वे शायद अपनी ज़िम्मेदारियों को सही ढंग से निर्वाह कर सकेंगी। मगर हमारे यहां इस तकाज़े को कभी सही ढंग से नहीं समझा गया। यह अकारण नहीं है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के मामले में पिछले कुछ सालों से भारत दुनिया की सूचि में निरंतर नीचे खिसकता गया है। विनोद दुआ मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला न सिर्फ केन्द्र सरकार के लिए, बल्कि तमाम राज्यों सरकारों के लिए भी एक सबक़ है। उनमें अपने प्रति असहमति की आवाज़ों को सुनने का साहस होना ही चाहिए।

मुआवज़े का मरहम

कोरोना की वजह से मरने वालों के परिजनों को मुआवज़ा देने का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश लाखों लोगों के लिए मरहम की तरह आया है। हालांकि न्यायालय ने मुआवज़े की रक़म तय करने से इंकार कर दिया है, पर इस आदेश से ऐसे वक़्त में सरकार का मानवीय उत्तरदायित्व ज़रूर तय हो गया है। जब इस मामले में याचिका दायर करके कोरोना से मरने वालों के परिजनों को चार लाख रुपए देने की मांग की गई थी, तो अदालत ने सरकार से इस पर अपना रुख़ जानना चाहता था। तब केन्द्र सरकार ने हलफनामा दायर कर साफ कह दिया था कि प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में जिन बारह विषयों को शामिल किया गया है, उनमें बाढ़, भूकंप जैसी स्थितियां तो आती हैं, पर कोरोना जैसी महामारी नहीं आती। सरकार करने वालों को मुआवज़ा देने में सक्षम है, इस तरह उस पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सरकार का उत्तरदायित्व मानते हुए मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। यह सरकार को तय करना है कि मुआवज़े की राशि कितनी होगी। इसके लिए छह सप्ताह के भीतर दिशा निर्देश जारी करने होंगे।

यह सही है कि सरकारी मुआवज़े से उन लोगों की ज़िन्दगी आसान नहीं हो जाती, जिन्होंने अपना भरण पोषण करने वाला सदस्य खो दिया है, पर सरकार ऐसे लोगों को कुछ दिन तक संभालने की अपनी ज़िम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती। आपदा, दुर्घटना आदि में मुआवज़े

यह सही है कि सरकारी मुआवज़े से उन लोगों की ज़िन्दगी आसान नहीं हो जाती, जिन्होंने अपना भरण पोषण करने वाला सदस्य खो दिया है, पर सरकार ऐसे लोगों को कुछ दिन तक संभालने की अपनी ज़िम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती। आपदा, दुर्घटना आदि में मुआवज़े का प्रावधान इसलिए किया गया है कि परिवार के बचे हुए लोगों को संभलने और नए ढंग से जीवन शुरू करने में आसानी हो।

का प्रावधान इसलिए किया गया है कि परिवार के बचे हुए लोगों को संभलने और नए ढंग से जीवन शुरू करने में आसानी हो। कोरोना की दूसरी लहर में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब चार लाख लोगों की जान गई। जबकि दूसरी एजेंसियां इससे कई गुना अधिक मौतों का कयास लगा रही हैं। मरने वालों में बहुत सारे लोग ऐसे थे, जो परिवार के एकमात्र कमाने वाले थे। उनके जाने के बाद उनके बूढ़े माता पिता,

बाक़ी पेज 11 पर

ज़रूरी ऐलान

आपकी ख़रीदारी अवधि पते की चिट पर अंकित है। अवधि की समाप्ति से पूर्व रक़म भेजने की कृपा करें।

रक़म भेजने के तरीक़े:-

❶ मनीआर्डर द्वारा ❷ **Paytm** या **PhonePe** द्वारा **9811198820** पर
SHANTI MISSION
❸ऑनलाइन हेतु बैंक खाते का विवरण
SBI A/c 10310541455
Branch: **Indraprastha Estate**
IFS Code: **SBIN0001187**

अपने प्रिय अख़बार साप्ताहिक शांति मिशन को इंटरनेट पर देखने के लिये लॉगऑन करें:
www.aljamiat.in ——— www.jahazimedia.com
Mob. 9811198820 — E-mail: Shantimissionweekly@gmail.com

ख़रीदारी चन्दा

वार्षिक	Rs.130/-
6 महीने के लिए	Rs.70/-
एक प्रति	Rs.3/-

जानकारी के लिये सम्पर्क करें
साप्ताहिक
शांति मिशन
1, बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग,
नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23311455

जमीअत ट्रस्ट सोसायटी की तरफ से मुद्रक, प्रकाशक शकील अहमद सैयद ने शेरवानी आर्ट प्रिंटर्स, 1480, क़ासिमजान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवाकर मदनी हाल, न. 1, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित किया। संपादक:- मोहम्मद सालिम, फोन:- 23311455, 23317729, फैक्स:- 23316173